BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
APPEAL NO.57/2025

IN THE MATTER OF:
DEVESH KUMAR VERMA

...APPLICANT

VERSUS

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT,
FOREST & CLIMATE CHANGE, U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE TO THE APPEAL BY RESPONDENT NO. 1 IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 16.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF THE ORDER DATED 23.07.2025 BY THE SPECIAL SECRETARY IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	
3.	A COPY OF THE ORDER 30.03.2024 AND 04.02.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-2**	
4.	A COPY OF THE CCA DATED 11.08.2023 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-3**	
5.	A COPY OF THE COMMUNICATION DATED	

	18.09.2023 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-4**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE: 21.05.2026
PLACE: NOIDA

480

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
APPEAL NO.57/2025

IN THE MATTER OF:
DEVESH KUMAR VERMA

...APPLICANT

VERSUS

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT,
FOREST & CLIMATE CHANGE, U.P. & ORS.

...RESPONDENT(s)

RESPONSE TO THE APPEAL BY RESPONDENT NO. 1 IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 16.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I Ghanshyam Singh, aged about 59 years, S/o Late Amar Singh, presently posted as Special Secretary, Environment, Forest And Climate Change Department, State of U.P., do hereby solemnly state and affirm as under:

1. That I, the Deponent, am well conversant with the facts and circumstances of the present case and am competent to swear this affidavit.

21/5/26
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

BACKGROUND OF MATTER

2. That in the present Appeal, the Appellant has challenged the order dated 23.07.2025 whereby the Appellate Authority/Special Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, U.P. has allowed the appeal and set-aside the closure order dated 04.02.2025 passed by Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB).

3. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 16.02.2026 has directed the Respondents to file their response to the present Appeal. The relevant part of the order is as stated below:

> *"...4. A perusal of the application for condonation of delay reveals that sufficient explanation for the delay has been furnished. Accordingly, IA No. 587/2025 is allowed and delay in filing the appeal is condoned.*
>
> *5. Parties are permitted to complete the pleadings in appeal within six weeks..."*

NOTARY C.P. MISRA ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. REGN. NO. 20914 GOVERNMENT OF INDIA

PRELIMINARY SUBMISSIONS

4. That the present Counter Affidavit is being filed on behalf of Respondent No.1 in opposition to the Appeal preferred by the

21/5/26
C.P. MISRA ADV. & NOTARY HQ LUCKNOW U.P. INDIA REGN. NO. 20914 EXPIRY DATE-15-3-2030

Appellant under Section 18(1) read with Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010 challenging the order dated 23.07.2025 passed by the Appellate Authority/Special Secretary, Environment, Forest & Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh (answering Respondent).

A copy of the order dated 23.07.2025 by the Special Secretary is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

5. That the impugned order dated 23.07.2025 is a detailed, reasoned and speaking order passed by the statutory Deponent in exercise of powers conferred under Section 31 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981; and Section 28 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

6. That at the outset it is germane to mention that the answering respondent vide order dated 23.07.2025 has neither granted any blanket permission for operation of the unit nor regularized any environmental violation. The Appellate Authority/Deponentset aside the impugned orders dated 30.03.2024 passed by the Regional Officer, UPPCB and order dated 04.02.2025 passed by the Chief

NOTARY C.P. MISRA ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. REGN. NO. 209.. GOVERNMENT OF INDIA

21/5/26 C.P. MISRA ADV. & NOTARY HQ LUCKNOW U.P. INDIA REGN. NO. 20914 EXPIRY DATE-15-3-2030

Environment Officer, Circle-6, and directed reconsideration of the matter relating to CCA/CTO in accordance with law.

A copy of the order 30.03.2024 and 04.02.2025 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**

CHRONOLOGY OF EVENTS

7. Thatthe industrial unit namely M/s Shiv Shakti Traders situated at Village Ichauli, Tehsil Mohammadabad, District Ghazipur was stated to be operating since the year 2002 initially as a rice hulling unit.

8. That subsequently, the unit in February, 2023 installed a boiler for production of parboiled rice and applied before the Uttar Pradesh Pollution Control Board for requisite permissions including CCA/CTO.Priorwhereto ordinary rice milling through hulling process was being carried out. Necessary no-objection was obtained from the Boiler Directorate, U.P. for installation of the boiler.

9. That after inspection and completion of formalities, the UPPCB itself granted Consolidated Consent & Authorization and Consent to

NOTARY C.P. MISRA ADV. & NOTARY LUCKNOW U.P. REGN. NO. 20914 GOVERNMENT OF INDIA

21/5/26
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

Operate vide order dated 11.08.2023 valid for the period 03.08.2023 to 02.02.2024.

A copy of the CCA dated 11.08.2023 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3.**

10. That thereafter various complaints were submitted by certain villagers including the present Appellant alleging pollution and health hazards caused by the said unit.

11. That inspections were conducted by authorities and thereafter the earlier CTO/CCA dated 11.08.2023 came to be revoked vide communication dated 18.09.2023.

A copy of the communication dated 18.09.2023 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4.**

12. That thereafter the Regional Officer, UPPCB passed order dated 30.03.2024 and subsequently Environmental Engineer, UPPCB passed closure order dated 04.02.2025 under Section 31A of the Air Act.

21/5/26

C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

13. That aggrieved by the aforesaid orders, the industrial unit preferred statutory appeal before the Deponent under the Air Act and Water Act.

14. That subsequent to hearing all concerned parties and considering the material available on record, the Deponent passed the order dated 23.07.2025.

GROUNDS FOR PASSING OF THE IMPUGNED ORDER DATED 23.07.2025

15. That during the submissions by the parties,it was observed that the Pollution Control Board itself had granted CTO/CCA on 11.08.2023 after inspection and scrutiny of documents.

16. That the Deponent observed that On complaints dated 04.09.2023 filed by Devesh Kumar Verma and Ms. Bhavana Verma before the U.P. Pollution Control Board, Varanasi, the CCA/CTO dated 11.08.2023 valid from 03.08.2023 to 02.02.2024 was illegally revoked on 18.09.2023.

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20914
GOVERNMENT OF INDIA

C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

17. That the Deponentfrom the arguments and facts presented before it found that the impugned orders dated 30.03.2024 and 04.02.2025 were primarily based upon complaints and inspection observations. It was further observed that deficiencies relating to chimney height, ash handling and dust suppression were rectifiable in nature and opportunity ought to have been afforded for compliance instead of directly resorting to closure.

18. That the Deponentdid not adjudicate any private disputes between villagers but only examined whether the coercive action taken by UPPCB satisfied statutory and procedural requirements prior to issuing of the order(s) issued by the UPPCB dated 30.03.2024 passed by the Regional Officer, UPPCB and order dated 04.02.2025 passed by the Chief Environment Officer, Circle-6.

19. That the answering Respondent's order dated 23.07.2025 nowhere grants exemption from any CPCB guideline or environmental norm. The answering has examined legality of the closure/revocation proceedings after duly considering the arguments and the material

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO.20914
GOVERNMENT OF INDIA

21/5/26

C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

placed before and did not adjudicate final environmental compliance or grant fresh consent.

20. That the answering respondent prior to passing of the impugned order has duly considered the material placed on record by all the involved parties. The answering respondent has duly considered:

i. inspection reports
ii. complaints
iii. reports of local authorities
iv. proceedings under Section 133 Cr.P.C.
v. committee reports; and
vi. orders passed by UPPCB

21. That the answering respondent has never held that environmental norms are unnecessary or inapplicable in its order and has merely directed the reconsideration of the closure orders passed by the authorities in accordance with the law after taking into account all the relevant aspects.That the Appellate Authority/Deponent only

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 20914
GOVERNMENT OF INDIA

C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

examined legality of orders passed by UPPCB under the statutory appellate framework provided under the Air Act and the Water Act.

22. That the order issued by the answering respondent does not prohibit UPPCB from taking lawful action in future in accordance with environmental laws and statutory procedure. The direction issued by the Deponent is as follows:

"...12. अपीलकर्ता के पक्ष में चावल मिल चलाने हेतु ग्राम वासियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। जिनमें श्री आशीष गुप्ता, धनन्जय गुप्ता, गुड्डू गुप्ता, सूरज गुप्ता, सोमनाथ राय, प्रदीप कुमार गुप्ता, अवनीश राय, राजेन्द्र यादव, इंदा राय, हरिकिशुन राय, लाल बिहारी राम, रणजीत राम, राम जी राम, रामासागर राम, पवन राय, दीप चन्द्र राय, इंद्र गुप्ता, राम प्रवेश राय, विद्या देवी, छवी नाथ राम, राम निवास गुप्ता, विक्की गुप्ता, अभिषेक राय, प्रियंका गुप्ता, अंकुश गुप्ता, राजेश गुप्ता, भीम खरवार, छोटे लाल गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, किशन गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, प्राशून राय, कंचन गुप्ता, बिन्द्र गुप्ता एवं किशन गुप्ता अपने शपथ पत्रों में कहा गया है कि उन्हें चावल मिल से उनको कोई आपत्ति या दिक्कत नहीं है। उक्त से अपीलकर्ता के इस तर्क को बल मिलता है कि ग्राम के एक प्रभावशाली परिवार की शिकायत के आधार पर ही, बिना अन्य ग्रामवासियों का अभिमत लिए उसके विरूद्ध उद्योग बन्दीकरण जैसी गम्भीर कार्यवाही कर दी गयी जबकि उसके द्वारा समस्त विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गयीं थीं। तत्पश्चात ही उसको दिनांक 11.08.2023 को सीसीए/ सीटीओ प्रदान की गयी थी। डीजी सेंट तथा चिमनी में यदि मानक में कोई कमी भी थी तो उरो पूर्ण कराया जा सकता था। अन्य कमियों को पूर्ण करने हेतु भी अपीलकर्ता को समय दिया जाना चाहिए था।

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO.209..
GOVERNMENT OF INDIA

21/5/26

C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

13. उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति तथा विवेचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.03.2024 तथा पर्यावरण अभियन्ता, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 04.02.2025 में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तथा उपरोक्त आक्षेपित आदेश स्थिर रहने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं।

14. अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.03.2024 तथा पर्यावरण अभियन्ता, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 04.02.2025 अपास्त/ निरस्त किये जाते है। अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की जाती है तथा क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी/ उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण के सभी पक्षों पर ध्यान देते हुए सीसीए/ सीटीओ के संबंध में निर्णय लिया जाए। इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि उभयपक्षों को उपलब्ध करायी जाए।..."

23. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

24. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
GOVERNMENT OF INDIA

21/5/26

C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HQ LUCKNOW U.P. INDIA
REGN. NO. 20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

VERIFICATION

Verified at LUCKNOW on this 21st day of MAY, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 24 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
LUCKNOW U.P.
REGN. NO. 209..
GOVERNMENT OF INDIA

Sworn and Verified
Before Me
21/5/2026
C.P. MISRA
ADV. & NOTARY
HO LUCKNOW U.P. INDIA
REGN NO.20914
EXPIRY DATE-15-3-2030

Identify the deponent/Executant/Surety
who has/have signed/Put T.I. before me.

ANNEXURE-1

अपीलीय प्राधिकारी / विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

अपील अन्तर्गत धारा–31 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं अन्तर्गत धारा–28, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974,
अपील संख्या–16 / 2025

कन्हैया गुप्ता ....अपीलकर्ता

बनाम

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ व अन्य ....प्रतिवादी

निर्णय

प्रस्तुत अपील वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–28 के अन्तर्गत अपीलकर्ता कन्हैया गुप्ता, प्रोप्राइटर शिव शक्ति ट्रेडर्स ग्राम इचौली, पोस्ट–तडवा, जिला गाजीपुर द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की यथा संशोधित धारा–31A के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका–सी–नं0 5638 / 2024 मे0 शिव शक्ति ट्रेडर्स व अन्य आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुक्रम में उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 01.03.2024 पर पारित आदेश दिनांक 30.03.2024 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथा संशोधित धारा–31A के अन्तर्गत निर्गत नोटिस दिनांक 04.10.2023 की पुष्टि करते हुए पारित बन्दीकरण आदेश दिनांक 04.02.2025 के विरूद्ध योजित की गई है। अपीलकर्ता / प्रोप्राइटर श्री कन्हैया गुप्ता गय अधिवक्ता श्री आशुतोष पाण्डेय तथा प्रतिवादी की ओर से श्री अनुज कुमार चौबे, विधि

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF INDIA

अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ उपस्थित हुए। उभय पक्षों का सुना गया।

2. सर्वप्रथम उभयपक्षों को अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत देरी माफी प्रार्थना पत्र पर सुना। अपीलकर्ता का कथन है कि वह प्रकरण में अपील किये जाने संबंधी विधिक व्यवस्था से भिज्ञ नहीं था इसलिए उसके द्वारा आक्षेपित आदेश को सर्वप्रथम मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका न्यूट्रल साइटेशन–2025:ए0एच0सी0:44735–डी0बी0 में चुनौती दी गयी। तत्समय अपील की व्यवस्था उसके संज्ञान में आने पर उसके द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। उसके द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया। प्रतिपक्षी द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया। उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त न्याय हित में अपील मेमो दिनांक 26.05.2025 के साथ प्रस्तुत देरी माफी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

3. अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील मेमो मे कथन किया गया है कि उसके पिता श्री सर्वचन्द्र गुप्ता द्वारा वर्ष 2002 में स्थापित चावल मिल को उसके द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके लिए उसके द्वारा जिला बोर्ड, क्षेत्र समिति आदि से अनुमतियाँ प्राप्त की गयीं थीं। दिनांक 01.07.2002 की रसीद और जिला बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत चावल मिल की फीस की अन्य रसीदें तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 31.12.2012 को जारी प्रपत्र–सी लाइसेंस की फोटोकापी संलग्न है। उक्त चावल मिल आराजी सं0 129,130,131 और 132 ग्राम इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जिला–गाजीपुर में स्थापित है। राइस मिल स्थापना के समय मिल के आसपास कोई आबादी या आवासीय मकान नहीं था। 1430 फसली के खसरे में राइस मिल (शिव शक्ति ट्रेडर्स) की प्रविष्टि है। ग्राम–इचौली में ही श्री राम पति वर्मा व उनके पुत्रों अमरेश कुमार वर्मा, श्री राजेश कुमार वर्मा एवं अमरेन्द्र कुमार वर्मा को परिवार भी रहते हैं। इनमें से श्री अमरेन्द्र

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF INDIA

कुमार एक वरिष्ठ पी0सी0एस0 (अपर जिलाधिकारी) हैं। श्री अमरेश कुमार वर्मा के इसी गांव के पूर्व प्रधान हैं। श्री देवेश वर्मा व कु0 भवाना वर्मा राजेश वर्मा के पुत्र व पुत्री हैं। श्री अमरेश कुमार वर्मा प्रभावशाली व्यक्ति है एवं गांव की राजनीति के कारण अपीलकर्ता और उनके परिवार के साथ प्रतिद्वंद्विता रखता है एवं उनके सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। उल्लेखनीय है कि श्री अमरेश कुमार वर्मा ने उप–जिला मजिस्ट्रेट, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर के समक्ष धारा 133 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही हेतु शिकायत की थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के समक्ष भी श्री देवेश वर्मा एवं कु0 भावना वर्मा ने दिनांक 04.06.2023 को भी शिकायत दर्ज करायी। क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 11.08.2023 के आदेश द्वारा दिनांक 03.08.2023 से 02.02.2024 तक मिल संचालन और समेकित सहमति सीसीए प्रदान की गयी थी। श्री अमरेन्द्र कुमार वर्मा के प्रभाव के कारण अवैध रूप से तथा सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना उक्त आदेश को क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा पारित अपने आदेश दिनांक 18.09.2023 द्वारा खारिज कर दिया गया। श्री देवेश कुमार वर्मा ने जनहित याचिका संख्या 2297/2023 (देवेश कुमार वर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य एवं 05 अन्य) भी दायर की है। वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा दिनांक 27.05.2023 को आदेश निर्गत किया गया। मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 27.06.2023 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी से दो विशिष्ट बिन्दुओं पर रिपोर्ट देने को कहा (1) क्या स्कूल और आबादी इकाई (मिल) की स्थापना से पहले या बाद में विकसित की गई थी? (2) क्या आवासीय क्षेत्र के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई प्रमाण पत्र है? क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 05.07.2023 द्वारा चार विशिष्ट

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
24-8-25
NOTARY GOVT. OF IND

बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया। जिसका संमुचित जवाब मय साक्ष्यों सहित दिया गया। दिनांक 06.02.2023 को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25/26 के अन्तर्गत उत्सर्जन जारी रखने और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के समक्ष एक ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के आधार पर खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचालन) नियम 2016 के अन्तर्गत खतरनाक और अन्य अपशिष्ट के उत्पादन या संग्रह या भंडारण या अन्य निपटान के लिए प्राधिकरण के अनुदान/नवीनीकरण के लिए भी दिनांक 06.02.2023 को ऑनलाइन आवेदन किया था। दिनांक 11.08.2023 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समेकित संचालन सहमति एवं प्राधिकार (सीसीए) दिनांक 03.08.2023 से 02.02.2024 तक ऑनलाइन प्रदान किया गया। दिनांक 20.09.2023 को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण सीमा 100.00 लाख रूपये से बढ़ाकर 300.00 लाख रूपये कर दी गयी है। दिनांक 26.09.2023 को श्री अमरेश कुमार वर्मा एवं अन्य की शिकायत पर उप–जिला मजिस्ट्रेट, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर ने धारा 133 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसके अनुक्रम में दिनांक 09.10.2023 को अपीलकार्ता के छोटे भाई किशन गुप्ता ने अपीलार्थी की ओर उप–जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जबाव दाखिल किया। चूंकि जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र उद्योगों के लिए भूमि आदि उपलब्ध कराकर छोटे उद्योगपतियों की सहायता करता है, अतः दिनांक 15.09.2023 को आयुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, गाजीपुर से चावल मिल स्थापित करने के लिए छः बीघा भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। अमरेश वर्मा के पोते और पोती क्रमशः देवेश कुमार वर्मा और कु0 भावना वर्मा की शिकायत पर दिनांक 18.09.2023 के आदेश को, सुनवाई का अवसर दिए बिना, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/17
24-8-25
NOTARY GOVT. OF INDIA

द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के आदेश क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए आदेश दिनांक 11.08.2023 को निरस्त कर दिया गया। दिनांक 08.09.2023 के तथाकथित निरीक्षण में न तो अपीलकर्ता और न ही उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित था और पूरी कार्यवाही एकपक्षीय और दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गयी है। दिनांक 18.09.2023 के अनुसरण में मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा दिनांक 04.10.2023 को नोटिस के माध्यम से 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया। दिनांक 12.10.2023 को प्रतिनिधि किशन गुप्ता के माध्यम से सात बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। जबकि इसके पूर्व ही दिनांक 18.09.2023 के आदेश के अनुसरण में स्थानीय प्रशासन द्वारा पहले ही चावल मिल बन्द करने हेतु बाध्य कर दिया गया। अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.09.2023 एवं 04.10.2023 के आदेश से असहमत हो कर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका रिट–सी संख्या–5638/2024 (मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य) दायर की गयी। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 23.02.2024 के आदेश में स्पष्ट किया कि आदेश दिनांक 18.09.2023 को एक नोटिस के रूप में माना जायेगा और अपीलकर्ता 10 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करेगा। सम्बन्धित प्राधिकारी जबाव पर विचार कर चार सप्ताह की अतिरिक्त अवधि में तर्कसंगत आदेश पारित करेगा। दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन में पांच बिन्दुओं पर जवाब उपलब्ध कराया गया (1) चावल मिल समय–समय पर जल एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की गयी है। (2) चिमनी से जुड़ा निकास पाइप संबंधित नियमों के तहत प्रदान किये गये मानक के अनुसार स्थापित है। (3) चावल मिल के संचालन के दौरान उत्पन्न राख को पास के खुले क्षेत्र में न फेंक कर भूमि के एक टुकड़े में उचित रूप से रखा जा रहा है। (4) मिल के पास वनीकरण का

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF INDIA
24-8-23

कार्य कराया जा रहा है जिससे चावल मिल के संचालन से क्षेत्रीय पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। (5) मिल के संचालन के समय फर्श पर बिखरी राख को नियमित अंतराल पर साफ किया जाता है। अपीलकर्ता के उत्तर पर बिना गुण–दोष के जांचे और बिना मौका–मुआयना किये निर्णय दिया गया। श्रीमती भावना वर्मा और श्री दिनेश वर्मा के रिश्तेदार के कहने पर तत्काल अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गयी। जिस कारण चावल मिल चला पाना मुश्किल हो गया। दिनांक 30.03.2024 के आदेश में मात्र नोटिस के निष्कर्षों और शिकायतकर्ता के कहने पर तैयार गयी रिपोर्ट को दोहराया। आपेक्षित बयानों में अपीलकर्ता के विरूद्ध झूठी गवाही दी गयी। मिल के पास रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने चावल मिल के संचालन के विरूद्ध कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी है, बल्कि उनके द्वारा नोटरी हलफनामे के माध्यम से कहा गया है कि मिल उनके आवास के पास स्थित है परन्तु इससे उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है। सुनवाई के दौरान हलफनामा देने वाले व्यक्तियों को भी नहीं सुना गया। प्रतिवादी का एक मात्र मकसद चावल मिल को बन्द कराना है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के आदेश दिनांक 30.03.2024 द्वारा 11.08.2023 के सी0टी0ओ0 को रद्द कर दिया गया। साथ ही आरोप लगाया गया कि उद्योग/चावल मिल से सटे तालाब में चावल की भूसी जलाने से उत्पन्न राख को अवैध रूप से डंप किया गया एवं आस–पास क्षेत्र में बिखरी हुई पायी गयी और बॉयलर से जुड़ी चिमनी/निकास पाइप की ऊँचाई सी0टी0ओ0 दिनांक 11.08.2023 के नियम व शर्तों के अनुरूप नहीं पायी गयी। प्रतिवादी द्वारा जल प्रदूषण अधिनियम की धारा–21 और वायु प्रदूषण अधिनियम की धारा–26 के तहत प्रदूषण का निर्धारण करने हेतु न ही नमूने का परीक्षण कराया गया और न ही इसे उचित समझा गया। जबकि स्थलीय निरीक्षण के पश्चात ही सी0टी0ओ0 परमिट प्रदान किया गया था। प्रतिवादी द्वारा मा0 न्यायालय में कहा गया

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT OF IND

कि चावल मिल के बॉयलर से जुड़ी चिमनी/निकास पाइप दिनांक 11.08.2023 के सी0टी0ओ0 के अनुरूप नहीं है इसलिए चावल मिल चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जबकि बॉयलर के निकास पाइप में स्क्रबर लगा होने के कारण हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन नहीं होता है। इसकी पुष्टि बॉयलर निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा जारी प्रमाण पत्र से भी की जा सकती है। श्री देवेश कुमार वर्मा ने यू0पी0 मानवाधिकार आयोग, लखनऊ के समक्ष भी अपीलकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी निजी हित में उद्योग/चावल मिल को पूरी तरह से बंद कराने के लिए दृढ़ है। जबकि चावल मिल में उबले हुए चावल के उत्पादन के लिए बॉयलर लगने से पहले सामान्य छिलका उतारने के बाद सामान्य चावल का उत्पादन पर्यावरण को प्रदूषित किये बिना किया जा रहा था। अपीलार्थी ने दिनांक 11.08.2023 के सी0टी0ओ0 के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक से 300.00 लाख रूपये के ऋण से 16 हजार क्विंटल धान की खरीद की है। सी0टी0ओ0 रद्द करने से धान का पूरा स्टॉक नष्ट होने से भारी वित्तीय हानि हुई। ऋण चुकाने का भी भार अतिरिक्त रूप से आ गया है। प्रथम आपेक्षित आदेश दिनांक 30.03.2024 के आधार पर पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, की धारा 31ए के अन्तर्गत आक्षेपित आदेश दिनांक 04.02.2025 पारित कर उद्योग /चावल मिल को पूर्णतः बन्द करने का निर्देश दिया गया है। जबकि सामान्य चावल के प्रसंस्करण हेतु बॉयलर चलाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। दिनांक 20.02.2024 आदेश द्वारा मिल को पूर्णतः बन्द करने की वजह से धान का प्रसंस्करण नहीं हो पा रहा है, परन्तु उक्त आदेश अभी तक अपीलकर्ता को अप्राप्त है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अपीलकर्ता ने प्रस्तुत अपील दायर की है। अपीलकर्ता बैंक का ऋण चुकाने में भारी वित्तयी दबाव में है। निर्णय न होने की दशा में बैक ऋण खाता

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF IND

एन0पी0ए0 में बदल जाने से वित्तीय स्थिति और खराब हो जायेगी। अपीलकर्ता द्वारा अपने अपील मेमो के अन्त में निम्नानुसार अनुतोष हेतु प्रार्थना की गई है :–

"In view of the aforementioned fact and circumstances, the appellant respectfully requests that your goodself may kindly be pleased to set aside the impugned orde dated 30-03-2024 passed by the regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Varanasi Region, (Annexure – '15') as well as order dated 04.02.2025 passed by the Environment Engineer, U.P. Pollution Control Board, T.C.12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow (Annexure – '20') with futher direction to the authority concerned to remove the seal and ensure the peaceful and smooth functioning of the appellant industry forthwith, in the interest of justice and equity."

4. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा प्रश्नगत अपील में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन में कहा गया है कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के आदेश दिनांक 30.03.2024 एवं पर्यावरण अभियंता, प्रभारी, वृत्त–6 के आदेश दिनांक 04.02.2025 के विरूद्ध योजित की गई है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका–सी–संख्या–5638/2024, मे० शिवशक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टडवा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.03.2024 के अनुपालन में निस्तारण आदेश दिनांक 30.03.2024 पारित किया गया था। उक्त आदेश दिनांक 23.03.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इकाई में स्थापित डी.जी. सेट्स में लगे एक्जास्ट एवं चिमनी की ऊंचाई मानक के अनुसार नहीं थी, इकाई से जनित राख

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF IND

का निस्तारण इकाई से थोड़ी दूर स्थित तालाब में किया जा रहा था। क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण दिनांक 27.05.2023 में इकाई से 50 मी0 की दूरी पर ग्राम–इलौची तथा 70 मी० की दूरी पर कम्पोजिट विद्यालय इलौची पाया गया, जिसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी जो राईस मिल से काफी पुराना है। इकाई द्वारा भू–प्रयोग प्रमाण पत्र एवं सहमति शुल्क, ऑडिट बैलेन्शशीट एवं राख की डिस्पोज़ल की व्यवस्था के संबंध में सूचना नहीं दी गई थी। प्रश्नगत इकाई के संबंध में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में की गई जांच में इकाई मानक के अनुसार नहीं पाई गई है। इकाई को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विस्तृत आदेश (प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.03.2024 एवं 04.02.2025) पारित किया गया है, जिसमें समस्त बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए सकारण आदेश पारित किया गया है, जो इस अपील का संलग्नक संख्या–15 एवं 20 है। इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.10.2024 के अनुक्रम में अध्यक्ष, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय आदेश दिनांक 02.05.2024 के माध्यम से एक समिति का गठन कर प्रकरण की जांच कराई गई। समिति द्वारा दिनांक 06.05.2024 को इकाई का निरीक्षण किया गया। समिति द्वारा अपनी आख्या दिनांक 22.05.2024 में उल्लिखित किया गया है कि इकाई से सटे श्री वीरन ठाकुर का मकान, 70 मी० की दूरी पर विद्यालय एवं 50 मी0 की दूरी पर आबादी स्थित है। माननीय एनजीटी द्वारा ओए संख्या–510/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 में मानक के विपरीत इकाई का संचालन न किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इकाई द्वारा सहमति शर्तों का पालन न किए जाने के कारण इकाई की सहमति निरस्त की गई थी। मा० एनजीटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 की प्रति संलग्नक संख्या–1 है। समिति की जांच आख्या दिनांक 22.05.2024 संलग्नक संख्या–2 है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 23.03.2024 इकाई के प्रत्यावेदन दिनांक 01.03.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF IND
24-8-23

2024 के निस्तारण के संबंध में है जो इकाई को निर्गत सहमति आदेश दिनांक 11.08.2023 वैद्यता 03.08.2023 से 02.02.2024 को "रिवोक" किए जाने संबंधी आदेश दिनांक 18.08.2023 को वापस लिए जाने के संबंध में था। अवगत कराना है कि प्रश्नगत सहमति आदेश दिनांक 11.08.2023 की वैधता अवधि समाप्त होने के दृष्टिगत उसके संबंध में प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 01.03.2024 के निस्तारण आदेश दिनांक 23.03.2024 के संबंध में प्रस्तुत अपील निष्प्रयोज्य (Infructuous) है। प्रश्नगत इकाई के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या–2297/2023, देवेश कुमार वर्मा बनाम उ० प्र० राज्य, में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 में इकाई के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में कथन किया गया है कि इकाई को बंद कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 की प्राप्त इंटरनेट प्रति संलग्नक संख्या–3 है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 04.02.2025 इकाई को कारण बताओ नोटिस दिए जाने के उपरान्त एवं उसके प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए माननीय एनजीटी द्वारा ओए संख्या–510/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 के अनुपालन में एवं जनहित तथा जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के विरुद्ध प्रश्नगत अपील में किए गए कथन मिथ्या एवं भ्रामक हैं, अपील time barred है एवं delay condonation प्रार्थना पत्र में इकाई द्वारा अपील विलम्ब से दाखिल किए जाने का कोई समुचित कारण स्पष्ट नहीं किया गया है एवं दिन–प्रतिदिन के विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत अपील सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है।

5. अपीलकर्ता द्वारा आक्षेपित आदेशों के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–6777/2025 मे0 शिव शक्ति ट्रेडर्स व अन्य बनाम भारत सरकार व पांच अन्य

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF IND

योजित की गयी। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 01.04.2025 को निम्नानुसार आदेश पारित किये गये।

"1. Sri Akshey Pratap, Advocate after making brief submission concedes that tha impugned orders are appealable and therefore, prays for withdrawal of the instant petition with liberty to the petitioners to avail the alternative remedy.

2. Accordingly, the instant petition as well as the pending application stands disposed of with liberty to the petitioners to avail such other remedy as may be available in law.

3. This order has been passed in presence of Sri Rajesh Tripathi, counsel for respondent no.1 and Sri Saurabh Tiwari for Vikas Kumar, Intervenor."

6. अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील मेमो, विपक्षी द्वारा उस पर प्रस्तुत आपत्ति, उभयपक्षों की बहस सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन से प्रकरण में निम्नानुसार स्थिति सामने आती है। अपीलकर्ता के कथन व उसके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकट होता है कि उसके पिता श्री सर्वचन्द्र गुप्ता द्वारा वर्ष 2002 में आराजी संख्या–129,130,131 एवं 132 ग्राम इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर में चावल मिल की स्थापना की गयी। प्रारम्भ में उक्त चावल मिल सामान्य हलिंग मिल के रूप में कार्यरत थी। कालान्तर में उक्त चावल मिल के क्षमता विस्तार तथा उसके लिए बॉयलर लगाये जाने की आवश्यकता को देखते हुए उसके द्वारा समेकित संचालन सहमति एवं प्राधिकार (सीसीए) हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, के समक्ष सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए आवेदन किया गया। अपीलकर्ता को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 11.08.2023 को क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समेकित संचालन सहमति एवं प्राधिकार (सीसीए)

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF IND

"Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pullution Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pullution Act, 1981" तथा सी0टी0ओ0 प्रदान किया गया। तत्पश्चात अपीलकर्ता द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से 03 करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत कराया गया। जिसका ऋण स्वीकृति पत्र बैंक द्वारा 20.09.2023 को जारी किया गया। अपीलकर्ता द्वारा प्रमाण स्वरूप अपील मेमों के साथ ऋण स्वीकृति पत्र दिनांक 20.09.2023 की छायाप्रति संलग्न की गयी है। अपीलकर्ता का कथन है कि माह फरवरी 2023 में चावल मिल में बॉयलर की स्थापना की गयी, उससे पहले उसके द्वारा सामान्य हलिंग के द्वारा चावल की मिलिंग की जा रही थी। बॉयलर की स्थापना हेतु उसके द्वारा उ0प्र0 बॉयलर निदेशालय से अनापत्ति प्राप्त की गयी। अपीलकर्ता का कथन है कि उसके ही ग्राम के निवासी श्री अमरेश कुमार वर्मा, राजेश कुमार वर्मा, अमरेन्द्र कुमार वर्मा पुत्रगण रामपति वर्मा आदि उससे ईर्ष्या रखते हैं। जिसमें की अमरेन्द्र कुमार वर्मा वरिष्ठ पी0सी0एस0 अधिकारी हैं, उनके भाई श्री अमरेश कुमार वर्मा भूतपूर्व ग्राम प्रधान हैं तथा देवेश वर्मा व कु0 भावना वर्मा श्री राजेश वर्मा के क्रमशः पुत्र व पुत्री हैं द्वारा अपीलकर्ता के विरूद्ध शिकायतें देना प्रारम्भ कर दिया। अमरेश कुमार वर्मा द्वारा उसके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 की अन्तर्गत उपजिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही गतिमान कराई गयी, जिसमें अमरेन्द्र कुमार जो कि वरिष्ठ पी0सी0एस0 अधिकारी हैं ने अपने पदीय प्रभाव का भी प्रयोग किया। देवेश कुमार वर्मा और कु0 भावना वर्मा द्वारा दिनांक 04.09.2023 को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी के समक्ष भी एक शिकायत दर्ज करायी गयी जिसमें अमरेन्द्र कुमार द्वारा अपने पदीय प्रभाव का दुरूपयोग किया गया तथा अपीलकर्ता को प्राप्त सी0सी0ए0 व सी0टी0ओ0 दिनांक 11.08.2023 जो कि 03.08.2023 से 02.02.2024 की अवधि के लिए दी गयी थी को अवैध रूप से दिनांक 18.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
24-8-25
NOTARY GOVT.

09.2023 को निरस्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.05.2023 को क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियमन, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की गयी। मुख्य पर्यावरण अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 27.06.2023 को क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को पत्र प्रेषित कर दो निश्चित बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी थी कि आबादी चावल मिल की स्थापना के पूर्व अथवा बाद में आबादी तथा स्कूल बने हैं? तथा कि क्या आवासीय क्षेत्र होने के संबंध में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई प्रमाण पत्र दिया गया है? क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के पत्र दिनांक 05.07.2023 के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा सभी सूचनाएं साक्ष्य समेत उनको उपलब्ध करायी गयीं थी। अपीलकर्ता द्वारा क्षेत्रीय अधिककारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2023 तथा मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–6, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2023 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट सी 5638/2024 शिव शक्ति ट्रेडर्स व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य योजित की थी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.02.2024 को आदेश दिये गये कि आदेश दिनांक 18.09.2023 को नोटिस समझा जाए तथा अपीलकर्ता को 10 दिन के अन्दर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए तथा तत्पश्चात 04 सप्ताह के अन्दर आदेश पारित किया जाए। अपीलकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना उत्तर प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा गया। जिसमें उल्लेख किया कि चावल मिल को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गयी है तथा नियमों के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्थानुसार चिमनी से पाइप कनेक्ट किया गया है, चावल मिल से जो राख निकलती है उसे खुले स्थान पर नहीं डाला जा रहा है बल्कि अपीलकर्ता की भूमि पर

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF IND
24.8.25

डालकर समुचित ढंग से व्यवस्थित किया जा रहा है, उसके द्वारा मिल के आसपास के क्षेत्र में पेड़/पौधे लगाये गये हैं। मिल के संचालन के समय मिल के अन्दर फर्श पर जो भी राख गिरती है उसकी नियमित रूप से सफाई की जाती है। अपीलकर्ता के उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर समुचित रूप से विचार नहीं किया गया तथा शिकायतकर्ताओं जिनके कि परिवार में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी है, के प्रभाव में आपेक्षित आदेश दिनांक 30.03.2024 पारित कर दिया गया, जिसमे कारण बताओं नोटिस में दिये गये निष्कर्षों की ही पुनरावृत्ति की गयी, जोकि शिकायतकार्ता के कहने पर तैयार किया गया था तथा कोई स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया। चावल मिल के आसपास रहने वाले लोगों ने कभी कोई शिकायत नहीं की तथा हमारे पक्ष में बड़ी संख्या में आसपास रहने वाले ग्राम वासियों ने शपथ पत्र दिये हैं जो कि संलग्न हैं। क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 सपठित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 30.03.2024 द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में दिए गये सी0सी0ए0 तथा सी0टी0ओ0 दिनांक 11.08.2023 को अपास्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि वायु तथा जल प्रदूषण को मापने की सम्बन्धित अधिनियमों में एक निश्चित प्रक्रिया दी गयी है जिसका पालन नहीं किया गया तथा प्रदूषण करने वाले अवयवों के निर्धारण के लिए पानी अथवा हवा का कोई नमूना नहीं लिया गया, जिसकी की जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा–21 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, की धारा–26 में व्यवस्था दी गयी है। अपीलकर्ता का यह भी कथन है कि सी0टी0ओ0 जारी करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण किया गया था और सभी व्यवस्थायें ठीक पाये जाने के उपरान्त ही सी0टी0ओ0 जारी किया गया था। आपेक्षित आदेश दिनांक 30.03.2024 के आधार पर ही पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/17
NOTARY GOVT. OF IND

नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा दिनांक 04.02.2025 को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा–21 के अन्तर्गत आक्षेपित बन्दीकरण आदेश पारित किया गया।

7. अपील के विरूद्ध विपक्षी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में उल्लेख किया गया है कि इकाई में स्थापित डी0जी0 सेट्स में एक्जास्ट एवं चिमनी की ऊंचाई मानक के अनुसार नहीं थी इकाई से जनित राख का निरतारण इकाई से थोड़ी दूर में स्थित तालब में किया जाता था। दिनांक 27.05.2023 में क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण में 50 मीटर की दूरी पर ग्राम इलौची तथा 70 मीटर की दूरी पर कम्पोजिट विद्यालय पाया गया जिसकी स्थापना सन 1950 में की गयी थी। इकाई द्वारा भू उपयोग प्रमाण सहमति शुल्क, ऑडिट बैलेन्स शीट राख की डिस्पोजल के संबंध में भी सूचना नहीं दी गयी। यहां यह आश्चर्यजनक है कि दिनांक 27.05.2023 को क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण में कमियाँ पायी गयी थी तो दिनांक 11.08.2023 को सी0सी0ए0/सीटीओ किन परिस्थितियों में प्रदान किया गया। विपक्षी का कथन है कि अध्यक्ष उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02.05.2024 के माध्यम से एक समिति का गठन कर जांच करायी गयी थी जिसने अपनी रिपोर्ट 06.05.2024 को दी गई। समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि इकाई से सटे श्री विरेन्द्र ठाकुर का मकान, 70 मीटर की दूरी पर विद्यालय तथा 50 मी0 की दूरी पर आबादी स्थित है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 510/2024 में पारित दिनांक 08.05.2024 द्वारा इकाई का संचालन न किये जाने के संकेत दिये गये हैं। इकाई द्वारा सहमति शर्तों का पालन न किये जाने के कारण इकाई की सहमति निरस्त की गयी थी।

8. उभयपक्षों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित चावल मिल वर्ष 01.07.2002 से संचालित था । समस्या तब आरम्भ

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF IND

हुई जब अपीलकर्ता द्वारा वर्ष 31.12.2024 में स्टीम्ड राइस बनाने के लिए बॉयलर की स्थापना की गयी। अपीलकर्ता द्वारा इस कार्य हेतु बॉयलर निदेशालय से अनुज्ञा प्राप्त की गई। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा और औषधी प्रशासन विभाग का लाइसेन्स, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, यूसूफपुर से लाइसेन्स प्राप्त किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से वांछित प्रपत्र प्राप्त किया गया। सुक्ष्म, लघु एवं उद्योग मंत्रालय से उद्यम रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया गया। उसके द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी के समक्ष समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त उसे दिनांक 11.08.2023 को सीसीए/सीटीओ प्रदान किया गया। सम्पूर्ण मामले को देखने से प्रकट होता है कि ग्राम के कतिपय निवासियों द्वारा जो कि तथाकथित रूप से राजनीतिक व प्रशासनिक रूप से प्रभावशाली हैं द्वारा शिकायतें की गयीं। शिकायतकर्ताओं में मुख्यतः एक ही परिवार से सम्बद्ध व्यक्ति प्रतीत होते हैं। उक्त शिकायतों के आधार पर दिनांक 11.08.2023 को प्रदत्त सीसीए/सीटीओ लगभग एक माह पश्चात ही 18.09.2023 को निरस्त कर दी गयी। उद्योग की स्थापना करना एवं उसको संचालित करना एक गम्भीर कार्य है जिसमें बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है तथा विभिन्न विभागों से अनापत्तियाँ/अनुज्ञायें भी प्राप्त करनी होती हैं जिसको कि अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया था। अपीलकर्ता को प्रदत्त सीसीए/सीटीओ दिनांक 11.08.2023 के आधार पर ही उसके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से ऋण हेतु आवेदन किया गया जोकि उसे दिनांक 20.09.2023 को स्वीकृत किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 11.08.2023 को सीसीए/सीटीओ देने तथा एक माह पश्चात ही 18.09.2023 को निरस्त करने से अपीलकर्ता को अपूर्णीय क्षति हुई है। उक्त वस्तुस्थिति से प्रकट होता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सम्बन्धित अधिकारियें द्वारा सीसीए/सीटीओ जैसे गम्भीर विषय में अत्यन्त सतही तौर पर बिना उसकी गम्भीरता पर चिंतन किये अत्यन्त जल्दबाजी में

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

कार्यवाही की गयी, जिससे न केवल प्रश्नगत उद्योग बन्द हो गया बल्कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दिया गया ऋण भी एन0पी0ए0 में परिवर्तित होने की स्थिति में पहुंच गया।

9. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियग, की धारा–26 में वायु के नमूना एकत्र करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था दी गयी है:–

26. वायु या उत्सर्जन के नमूने लेने (1) राज्य बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को विश्लेषण के प्रयोजन के लिए वायु के या किसी चिमनी, वाहिनी या घूमनाल या किसी अन्य निकास से उत्सर्जन के नमूने ऐसी रीति से लेने की शक्ति होगी, जो विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन उत्सर्जन के लिए, लिए गए किसी नमूने के किसी विश्लेषण का परिणाम किसी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य में तब तक ग्राह्य नहीं होगा जब तक कि उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया हो।

(3) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब उत्सर्जन का नमूना उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए लिया गया है, तब नमूना लेने वाला व्यक्ति–

(क) इस प्रकार विश्लेषण कराने के अपने आशय की सूचना ऐसे प्रारूप में, जो विहित किया जाए, अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता पर तुरन्त तामील करेगा;

(ख) अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता की उपस्थिति में, विश्लेषण के लिए, उत्सर्जन का नमूना लेगा;

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF IND

(ग) नमूने को आधान या आधानों में रखवाएगा जिसे चिन्हित और सीलबन्द किया जाएगा और उस पर नमूना लेने वाला व्यक्ति और अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता, हस्ताक्षर करेंगे;

(घ) धारा 17 के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला को, आधान या आधानों को, अविलम्ब भेजेगा अथवा, यदि अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता द्वारा उस निमित्त अनुरोध किए जाने पर जब उस पर खण्ड (क) के अधीन सूचना की तामील की जाती है, तो वह धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को अविलम्ब भेजेगा।

(4) जब उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए उत्सर्जन का नमूना लिया जाता है और नमूना लेने वाला व्यक्ति अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता पर उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की तामील करता है, तब–

(क) ऐसे मामले में जहां अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, वहां नमूना लेने वाला व्यक्ति विश्लेषण के लिए उत्सर्जन का नमूना लेगा और नमूने को आधान या आधानों में रखवाएगा, जिसे चिन्हित और सीलबन्द किया जाएगा और नमूना लेने वाला व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेगा; और

(ख) ऐसे मामले में जहां नमूना लिए जाने के समय अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता उपस्थित रहता है, किन्तु उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन अपेक्षित रूप मे उत्सर्जन के नमूने के चिन्हित और सीलबन्द आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करता है वहां, चिन्हित और सीलबन्द आधान या आधानों पर, नमूना लेने वाला व्यक्ति, हस्ताक्षर करेगा;

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/17
NOTARY GOVT. OF INDIA
24-8-25

और आधान या आधानों को धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए अविलम्ब भेजेगा और ऐसा व्यक्ति धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सरकारी विश्लेषक को अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता के, यथास्थिति, जानबूझकर अनुपस्थित रहने का आधान या आधानों पर हस्ताक्षर करने से उसके इन्कार करने के बारे में, लिखित जानकारी देगा।

10. जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम में धारा 21 में प्रदूषण मापने हेतु जल का नमूना एकत्र करने हेतु निम्नानुसार व्यंवस्था दी गयी है :–

21. बहिःस्रावों के नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया (1) राज्य बोर्ड या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को यह शक्ति होगी कि वह विश्लेषण के प्रयोजन के लिए क्षेत्र की किसी सरिता या कुएं से जल के अथवा किसी ऐसे मल अथवा व्यावसायिक बहिःस्राव के, जो किसी संयंत्र या जलयान से या किसी स्थान से या उसके ऊपर से किसी ऐसी सरिता या कुएं में जा रहा हो, नमूने ले।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी मल या व्यावसायिक बहिःस्राव के लिए गए किसी नमूने के किसी विश्लेषण का परिणाम किसी विधिक कार्यवाही में साक्ष्य में तब तक ग्राह्य नहीं होगा जब तक कि उपधारा (3), (4) और (5) के उपबन्धों का पालन न कर दिया जाए।

(3) उपधारा (4) और (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जब किसी मल या व्यावसायिक बहिःस्राव का नमूना (मिश्रित या अन्यथा जैसा भी प्रयुक्त प्रक्रिया में

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT OF IND

आवश्यक हो) उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए लिया गया हो, तब नमूना लेने वाला व्यक्ति–

(क) संयंत्र या जलयान के प्रभारी या उस पर नियंत्रण रखने वालें या उस स्थान के अधिष्ठाता व्यक्ति को (जिस व्यक्ति को इसमें इसके पश्चात् अधिष्ठाता कहा गया है) अथवा ऐसे अधिष्ठाता के किसी अभिकर्ता को वहीं तत्काल उसके विश्लेषण करने के अपने किसी आशय की सूचना की तामील ऐसे प्ररूप में करेगा जो विहित किया जाए;

(ख) अधिष्ठाता या अधिष्ठाता के अभिकर्ता की उपस्थिति में नमूने को दो भागों में विभाजित करेगा;

(ग) हर भाग को एक आधान में रखवाएगा जिसे चिन्हित और सीलबन्द कर दिया जाएगा और नूमना लेने वाले व्यक्ति और अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता, दोनों द्वारा, हस्ताक्षरित भी किया जाएगा;

(घ) एक आधान को तुरन्त, –

(i) उस दशा में, जहां ऐसा नमूना किसी संघ राज्यक्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से लिया गया है, धारा 16 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को भेजेगा, और

(ii) किसी अन्य दशा में धारा 17 के अधीन राज्य बोर्ड द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला को भेजेगा;

(ङ) दूसरे आधान को अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता के अनुरोध पर,–

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF INDIA

(i) उस दशा में जब नमूना संघ राज्यक्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से लिया गया है, धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेजेगा, और

(ii) किसी अन्य दशा में, धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित या विनिर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेजेगा।

[1][(4) जब उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए किसी मल या व्यावसायिक बहिःस्राव का नमूना लिया जाता है और नमूना लेने वाला व्यक्ति अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता पर उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना तामील करता है और अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, तब–

(क) इस प्रकार लिया गया नूमना एक आधान में रखा जाएगा जिसे चिन्हित तथा सीलबन्द किया जाएगा और नमूना लेने वाला व्यक्ति उस पर अपना हस्ताक्षर भी करेगा और उसे उपधारा (3) के खण्ड (ङ) के, यथास्थिति, उपखण्ड (प) या उपखण्ड (पप) में निर्दिष्ट प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए तुरन्त भेजेगा और वह व्यक्ति द्वारा धारा 53 की, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन नियुक्त सरकारी विश्लेषक को अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता के जानबूझकर अनुपस्थित होने के बारे में लिखित जानकारी देगा; और

(ख) ऐसे नमूने का विश्लेषण कराने में उपगत खर्च अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता द्वारा संदेय होगा और ऐसे संदाय में व्यतिक्रम होने की दशा में वह, यथास्थिति, अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता से भू–राजस्व या लोक मांग की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगाः

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF IND
24-8-25

परन्तु ऐसी कोई वसूली तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि, यथास्थिति, अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता को उस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।]

(5) जब उपधारा (1) के अधीन विश्लेषण के लिए किसी मल या व्यावसायिक बहिःस्राव का नमूना लिया जाता है और नमूना लेने वाला व्यक्ति अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता पर उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना तामील करता है और अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता, जो नमूना लेने के समय उपस्थित है, उपधारा (3) के खण्ड (क) में यथा उपबन्धित नमूने को दो भागों में विभाजित करने के लिए अनुरोध नहीं करता है तब, इस प्रकार लिया गया नमूना एक ऐसे आधान में रखा जाएगा जिसे चिन्हित तथा सीलबन्द किया जाएगा और नमूना लेने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे और उपधारा (3) के खण्ड (घ) के, यथास्थिति, उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए उस व्यक्ति द्वारा तुरन्त भेजा जाएगा।

11. सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 30.03.2024 तथा 04.02.2025 पारित करने से पूर्व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–26 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–21 का अनुपालन करते हुए कोई नमूना आदि लेने की कार्यवाही की गयी हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

12. अपीलकर्ता के पक्ष में चावल मिल चलाने हेतु ग्राम वासियों द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। जिनमें श्री आशीष गुप्ता, धनन्जय गुप्ता, गुड्डू गुप्ता, सूरज गुप्ता, सोमनाथ गुप्ता, प्रदीप कुमार गुप्ता, अवनीश राय, राजेन्द्र यादव, इंदा राय, हरिकिशुन राय, लाल

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF IND

बिहारी राम, रणजीत राम, राम जी राम, रामासागर राम, पवन राय, दीप चन्द्र राय, इंदू गुप्ता, राम प्रवेश राय, विद्या देवी, छवी नाथ राम, राम निवास गुप्ता, विक्की गुप्ता, अभिषेक राय, प्रियंका गुप्ता, अंकुश गुप्ता, राजेश गुप्ता, भीम खरवार, छोटे लाल गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, किशन गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, प्राशून राय, कंचन गुप्ता, बिन्दू गुप्ता एवं किशन गुप्ता अपने शपथ पत्रों में कहा गया है कि उन्हें चावल मिल से उनको कोई आपत्ति या दिक्कत नहीं है। उक्त से अपीलकर्ता के इस तर्क को बल मिलता है कि ग्राम के एक प्रभावशाली परिवार की शिकायत के आधार पर ही, बिना अन्य ग्रामवासियों का अभिमत लिए उसके विरूद्ध उद्योग बन्दीकरण जैसी गम्भीर कार्यवाही कर दी गयी जबकि उसके द्वारा समस्त विभागों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गयीं थीं। तत्पश्चात् ही उसको दिनांक 11.08.2023 को सीसीए/सीटीओ प्रदान की गयी थी। डीजी सेट तथा चिमनी में यदि मानक में कोई कमी गी थी तो उरो पूर्ण कराया जा सकता था। अन्य कमियों को पूर्ण करने हेतु भी अपीलकर्ता को समय दिया जाना चाहिए था।

13. उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति तथा विवेचना के आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.03.2024 तथा पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 04.02.2025 में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तथा उपरोक्त आक्षेपित आदेश स्थिर रहने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं।

14. अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वाराणसी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 30.03.2024 तथा पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 04.02.2025 अपास्त/निरस्त किये जाते हैं, अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की जाती है तथा क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF INDIA

नियंत्रण बोर्ड वाराणसी/उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण के सभी पक्षों पर ध्यान देते हुए सीसीए/सीटीओ के संबंध में निर्णय लिया जाए। इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि उभयपक्षों को उपलब्ध करायी जाए।

प्रमाणित प्रति

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

23.07.2025

अपीलीय प्राधिकारी/विशेष सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

(घनश्याम सिंह)
विशेष सचिव,
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उ0प्र0, शासन।

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
Reg.No -13373/1
NOTARY GOVT. OF INDIA

(1)

ANNEXURE-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर्भ संख्या 4237/3/ वृत्त -6 / सा0–779 / बंदी आदेश / वाराणसी / 2024 दिनांक 4-2-25

पंजीकृत

मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स,
आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132,
ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद,
जनपद–गाजीपुर।
मो॰ नं॰ 9415311979

यह कि मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132 ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तह0–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग कर स्टीम राईस का उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2 (ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर को बोर्ड के पत्र संख्या–एच 01468 / वृत्त–6 / सा–779 / गाजीपुर / 2023, दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके सन्दर्भ में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र संख्या–212 / शिव शक्ति ट्रेडर्स / 24–25 दिनांक 30.05.2024 के द्वारा संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी हैं। क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी एवं समिति की आख्या के सुसंगत अंश निम्नवत है :–

1. उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के प्रत्यावेदन दिनांक शून्य के अनुक्रम में बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या 29 / अध्यक्ष कैम्प / 2024, दिनांक 02.05.2024 द्वारा 03 सदस्यीय समिति गठित की गयी। समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 06.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के सयम श्री कन्हैया गुप्ता, प्रोपराईटर उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे।
2. उक्त उद्योग ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के आराजी संख्या 129, 130, 131 एवं 132 पर स्थित है।
3. उद्योग में 4.0 टन / घन्टा वाष्पजनन क्षमता का एक अदद ब्रायलर स्थापित है। उद्योग में कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग कर स्टीम राईस 4.0 टन / घन्टा का उत्पादन किया जाता है।
4. उद्योग में 160 के0वी0ए0 एवं 20 के0वी0ए0 क्षमता के दो अदद डी0जी0 सेट स्थापित है समिति के निरीक्षण के समय डी0जी0 सेट के एग्जास्ट पर चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी।
5. इकाई के पीछे पश्चिम दिशा में सटे श्री बीगन ठाकुर का मकान तत्पश्चात बसवार तथा दक्षिण दिशा में सटे लिंक रोड तत्पश्चात आवादी पायी गयी। इकाई के सामने पूरब दिशा में यूसुफपुर–कासिमाबाद रोड एवं लगभग 70 मीटर की दूरी पर कम्पोजिट विद्यालय इचौली, शिक्षा क्षेत्र, मुहम्मदाबाद स्थित है। इकाई के उत्तर दिशा में सटे उद्योग स्वामी का आवासीय मकान एवं लगभग 50 मीटर की दूरी पर ग्राम–इचौली की आवादी स्थित है। इकाई के समीप आबादी एवं कम्पोजिट विद्यालय स्थित है। प्रश्नगत् इकाई के संचालन से आस–पास के क्षेत्र में बसी हुई आबादी में रहने वाले नागरिकों तथा विद्यालय के बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
6. इकाई में बाउण्ड्रीवाल के किनारे–किनारे लगभग 30–40 पौधे रोपित पाये गये, जिन्हे देखने से प्रतीत हो रहा था कि पौधों का रोपड़ कुछ दिन पूर्व हुआ होगा।
7. उद्योग द्वारा भू–प्रयोग सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।
8. उद्योग से जनित वेस्ट वाटर के ट्रीटमेन्ट हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं किया गया है।
9. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका–सी नं0 5638 / 2024 मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.02.2024 को आदेश पारित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

" ....In such view of the matter, the order dated 18.9.2023 shall be treated as a notice and petitioner will have opportunity to submit a reply within ten days from today. The concerned authority shall accord consideration to petitioner's reply and pass a reasoned order within a further period of four weeks thereafter. *Till a fresh*

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 22601
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

NOTARY GOVT OF INDIA
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K Chaturvedi
N 13/17

(2)

order in terms of above direction is passed by the Regional Officer, no coercive action would be taken against the petitioner. The parties are otherwise directed to maintain status quo with regard to nature and possession of the property, as it exists today........"

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन के संदर्भ में मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम--इचौली, पो0–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.03.2024 के द्वारा पंजीकृत डाक से प्रत्यावेदन क्षेत्रीय अधिकारी, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को प्रेषित किया गया है, जो कार्यालय में दिनांक 04.03.2024 को प्राप्त हुआ। उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सुनवाई दिनांक 23.03.2024 को किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन में उक्त संदर्भित उद्योग के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय में निम्नवत् उल्लेख किया गया है:–

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन में उक्त संदर्भित उद्योग के सम्बंध में क्षेत्रीय अधिकारी वाराणसी द्वारा दिये गये निर्णय में निम्नवत् उल्लेख किया गया है:–

"......................उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर राज्य बोर्ड के पत्र संख्या 18.09.2023 के माध्यम से पारित आदेश वापस लिया जाना विधि सम्मत एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आदेश वापस लिए जाने तथा उद्योग को संचालित किये जाने हेतु अनुमति दिये जाने की दशा में आस–पास के क्षेत्र में बसी हुई आवादी में रहने वाले नागरिकों तथा विद्यालय के बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः राज्य बोर्ड के पत्र संख्या 1557/सहमति/शिव शक्ति ट्रेडर्स/23–24, दिनांक 18.09.2023 के माध्यम से सहमति (जल एवं वायु) रिवोक/निरस्त किये जाने सम्बंधी आदेश में परिवर्तन किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन/प्रतिउत्तर दिनांक 01.03.2024 बलहीन है। तद्नुसार पत्र दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने सम्बंधी प्रश्नगत उद्योग के प्रत्यावेदन के दृष्टिगत उक्त कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने की संस्तुति नहीं किये जाने योग्य है। तद्नुसार इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 01.03.2024 मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका–सी नं0 5638/2024 मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के समादर में निस्तारित किया जाता है एवं वर्तमान में इकाई का अन्य कोई प्रत्यावेदन इस कार्यालय में विचाराधीन नहीं है।"

10. प्रश्नगत उद्योग के सम्बंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 510/2024 (देवेश कुमार वर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

1 In this original application, Applicant has raised the grievance against Respondent No. 5 - M/s. Shiv Shakti Traders – a parboiled rice mill and the prayer of the Applicant is that the respondents be directed for immediate shifting of Respondent No. 5 which is currently located and operating in densely populated area.

2 Learned Counsel for the Applicant has submitted that Respondent No. 5 is operating without Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO). He has further submitted that CCA was issued to Respondent No. 5 on 11.08.2023 valid for the period of 03.08.2023 to 02.02.2024 but on account of several violations committed by Respondent No. 5, the CCA was revoked by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) by order dated 18.09.2023 and in that order, as many as 13 violations by Respondent No. 5 were noted.

3 The submission of Counsel for the Applicant is that in spite of revocation of CCA, Respondent No. 5 is operating illegally at night.

4 The above facts clearly reveal that the requisite action for violation of environmental norms has already taken by the concerned authority against Respondent No. 5 and if Respondent No. 5, in spite of orders by the authorities, is illegally operating then the Member Secretary, UPPCB is required to take appropriate action.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

(3)

5. Hence, we dispose of the OA directing the Member Secretary, UPPCB to get the inspection of Respondent No. 5 unit done and ensure that Respondent No. 5 does not operate in violation of norms and contrary to the orders already passed by the competent authority. Let the action taken report be submitted by the Member Secretary, UPPCB within two months before the Registrar General of the Tribunal by e-mail at judicial ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed for consideration before the Bench.

6. OA is accordingly disposed of.

11 समिति के निरीक्षण के समय उद्योग से सटे पश्चिम दिशा में स्थित पोखरी में उद्योग से जनित राख का निस्तारण पाया गया।

12 समिति के निरीक्षण के समय राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 11.08.2023 को निर्गत सशर्त सहमति आदेश की अधिकांश शर्तों का अनुपालन नहीं पाया गया था, जो दिनांक 18.09.2023 को रिवोक/निरस्त की गयी थी।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 30.05.2024 के माध्यम से उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी संख्या 129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तह0–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.10.2023 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएव जन–स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक हैं कि उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः उद्योग के उपरोक्त तथ्यों एवं मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरानत उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के विरूद्ध वायु (प्रदषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31(ए) के अन्तर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.10.2023 की पुष्टि करते हुए निम्नरूपेण बन्दी आदेश जारी किये जाते हैः–

1. यह कि उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदावाद, जनपद–गाजीपुर को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती हैं कि उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर को मिलने वाली विद्युत तथा जल आपूर्ति तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दे।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–6)

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, गाजीपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता,उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजीपुर।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए उद्योग को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–6)

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या–11237314 सी–6/सा0–779/बंदी आदेश/वाराणसी/2024

दिनांक–4–2–25

पंजीकृत

मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स,
आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132,
ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद,
जनपद–गाजीपुर।
मो0नं0– 9415311979

यह कि मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर जिसे आगे उद्योग कहा जाएगा। उद्योग में कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग कर स्टीम राईस का उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2 (ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर को बोर्ड के पत्र संख्या–एच 01468/वृत्त–6/सा–779/गाजीपुर/2023, दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके सन्दर्भ में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र संख्या–212/शिव शक्ति ट्रेडर्स/24–25 दिनांक 30.05.2024 के द्वारा संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

है। क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी एवं समिति की आख्या के सुसंगत अंश निम्नवत है:–

1. उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के प्रत्यावेदन दिनांक शून्य के अनुक्रम में बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या 29/अध्यक्ष/कैम्प/2024, दिनांक 02.05.2024 द्वारा 03 सदस्यीय समिति गठित की गयी। समिति द्वारा उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 06.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के सयम श्री कन्हैया गुप्ता, प्रोपराईटर उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे।
2. उक्त उद्योग ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के आराजी संख्या–129, 130, 131 एवं 132 पर स्थित है।
3. उद्योग में 4.0 टन/घन्टा वाष्पजनन क्षमता का एक अदद ब्वायलर स्थापित है। उद्योग में कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग कर स्टीम राईस 4.0 टन/घन्टा का उत्पादन किया जाता है।
4. उद्योग में 160 के0वी0ए0 एवं 20 के0वी0ए0 क्षमता के दो अदद डी0जी0 सेट स्थापित है समिति के निरीक्षण के समय डी0जी0 सेट के एग्जास्ट पर चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानकों के अनुरूप स्थापित नहीं पायी गयी।
5. इकाई के पीछे पश्चिम दिशा में सटे श्री बीगन ठाकुर का मकान तत्पश्चात बसवार तथा दक्षिण दिशा में सटे लिंक रोड तत्पश्चात आबादी पायी गयी। इकाई के सामने पूरब दिशा में

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

यूसुफपुर–कासिमाबाद रोड एवं लगभग 70 मीटर की दूरी पर कम्पोजिट विद्यालय इचौली, शिक्षा क्षेत्र, मुहम्मदाबाद स्थित है। इकाई के उत्तर दिशा में सटे उद्योग स्वामी का आवासीय मकान एवं लगभग 50 मीटर की दूरी पर ग्राम–इचौली की आबादी स्थित है। इकाई के समीप आबादी एवं कम्पोजिट विद्यालय स्थित है। प्रश्नगत् इकाई के संचालन से आस–पास के क्षेत्र में बसी हुई आबादी में रहने वाले नागरिकों तथा विद्यालय के बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

6. इकाई में बाउण्ड्रीवाल के किनारे–किनारे लगभग 30–40 पौधे रोपित पाये गये, जिन्हे देखने से प्रतीत हो रहा था कि पौधों का रोपड़ कुछ दिंन पूर्व हुआ होगा।
7. उद्योग द्वारा भू–प्रयोग सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है।
8. उद्योग से जनित वेस्ट वाटर के ट्रीटमेन्ट हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं किया गया है।
9. मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका–सी नं0 5638/2024 मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.02.2024 को आदेश पारित किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

"............In such view of the matter, the order dated 18.9.2023 shall be treated as a notice and petitioner will have opportunity to submit a reply within ten days from today. The concerned authority shall accord consideration to petitioner's reply and pass a reasoned order within a further period of four weeks thereafter. Till a fresh order in terms of above direction is passed by the Regional Officer, no coercive action would be taken against the petitioner. The parties are otherwise directed to maintain status quo with regard to nature and possession of the property, as it exists today.......... "

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन के संदर्भ में मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पो0–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.03.2024 के द्वारा पंजीकृत डाक से प्रत्यावेदन क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को प्रेषित किया गया है, जो कार्यालय में दिनांक 04. 03.2024 को प्राप्त हुआ। उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन के संदर्भ में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सुनवाई दिनांक 23.03.2024 को किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन में उक्त संदर्भित उद्योग के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिये गये निर्णय में निम्नवत् उल्लेख किया गया है:–

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के अनुपालन में उक्त संदर्भित उद्योग के सम्बंध में क्षेत्रीय अधिकारी वाराणसी द्वारा दिये गये निर्णय में निम्नवत् उल्लेख किया गया है:–

''.............उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर राज्य बोर्ड के पत्र संख्या 18.09.2023 के माध्यम से पारित आदेश वापस लिया जाना विधि सम्मत एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आदेश वापस लिए जाने तथा उद्योग को संचालित किये जाने हेतु अनुमति दिये जाने की दशा में आस–पास के क्षेत्र में बसी हुई आबादी में रहने वाले नागरिकों तथा विद्यालय के बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः राज्य बोर्ड के पत्र संख्या 1557/सहमति/शिव शक्ति ट्रेडर्स/23–24, दिनांक 18.09.2023 के माध्यम से सहमति (जल एवं वायु) रिवोक/निरस्त किये जाने सम्बंधी आदेश में परिवर्तन किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है तथा इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन/प्रतिउत्तर दिनांक 01.03.2024 बलहीन है। तद्नुसार पत्र दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31 'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने सम्बंधी प्रश्नगत उद्योग के प्रत्यावेदन के दृष्टिगंत उक्त कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित किये जाने की संस्तुति नहीं किये जाने योग्य है। तद्नुसार इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 01.03.2024 मा0

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर रिट याचिका–सी नं0 5638/2024 मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के समादर में निस्तारित किया जाता है एवं वर्तमान में इकाई का अन्य कोई प्रत्यावेदन इस कार्यालय में विचाराधीन नहीं है।"

10. प्रश्नगत उद्योग के सम्बंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 510/2024 (देवेश कुमार वर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर्स) में पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

1. In this original application, Applicant has raised the grievance against Respondent No.5-M/s. Shiv Shakti Traders- a parboiled rice mill and the prayer of the Applicant is that the respondents be directed for immediate shifting of Respondent No. 5 which is currently located and operating in densely populated area.

2. Learned Counsel for the Applicant has submitted that Respondent No. 5 is operating without Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO). He has further submitted that CCA was issued to Respondent No. 5 on 11.08.2023 valid for the period of 03.08.2023 to 02.02.2024 but on account of several violations committed by Respondent No. 5, the CCA was revoked by the Uttar Pradesh Pollution Control

Board (UPPCB) by order dated 18.09.2023 and in that order, as many as 13 violations by Respondent No.5 were noted.

3. The submission of Counsel for the Applicant is that is spite of revocation of CCA, Respondent No. 5 is operating illegally at night.

4. The above facts clearly reveal that the requisite action for violation of environmental norms has already taken by the concerned authority against Respondent No. 5 and if Respondent No. 5, In spite of orders by the authorities, is illegally operating then the Member Secretary, UPPCB is required to take appropriate action.

5. Hence, we dispose of the OA directing the Member Secretary, UPPCB to get the inspection of Respondent No. 5 unit done and ensure that Respondent No. 5 does not operate in violation of norms and contrary to the orders already passed by the competent authority. Let the action taken report be submitted by the Member Secretary, UPPCB within two months before the Registrar General of the Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of image PDF. If found necessary, the matter will be listed for consideration before the Bench.

U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

6. OA is accordingly disposed of.

11. समिति के निरीक्षण के समय उद्योग से सटे पश्चिम दिशा में स्थित पोखरी में उद्योग से जनित राख का निस्तारण पाया गया।

12. समिति के निरीक्षण के समय राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 11.08.2023 को निर्गत सशर्त सहमति आदेश की अधिकांश शर्तों का अनुपालन नहीं पाया गया था, जो दिनांक 18.09.2023 को रिवोक/निरस्त की गयी थी।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी द्वारा पत्र दिनांक 30.05.2024 के माध्यम से उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी संख्या 129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.10.2023 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएव जन–स्वास्थ्य एवं ब्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः उद्योग के उपरोक्त तथ्यों एवं मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, वाराणसी की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम अधिकारी के अनुमोद्नोपरान्त उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा,

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31(ए) के अन्तर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.10. 2023 की पुष्टि करते हुए निम्नरूपेण बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं:–

1. यह कि उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती हैं कि उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, आराजी सं0–129, 130, 131 एवं 132, ग्राम–इचौली, पोस्ट–टड़वा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर को मिलने वाली विद्युत तथा जल आपूर्ति तत्काल प्रभाव से विच्छेदित कर दे।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

हस्ताक्षर अपठनीय
पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–6)

<u>प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. जिलाधिकारी, गाजीपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, गाजीपुर।

भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए उद्योग को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी (वृत्त–6)

:: सत्यप्रतिलिपि ::

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U K. Chaturvedi
N 13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

Uttar Pradesh Pollution Control Board
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone 0522-220882720831 Fax 0522-2720764, Email infola uppcb in. Website: www.uppch.com

190546/UPPCB/Varanasi(UPPCBRO)/CTO/both/GHAZIPUR/2023Date: 11/08/2023

ANNEXURE-3

To.

M/s

Shiv Shakti Tredars

Village-Ichauli Tehsil-Muhamdabad District-Ghazipur,GHAZIPUR,

Application Id- 22296403

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act. 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to **Shiv Shakti Tredars** located at **Village- Ichauli Tehsil-Muhamdabad District- Ghazipur.GHAZIPUR,.** subject to the provisions of the **Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions:-

1. This CCA Shiv Shakti Tredars **granted for the period from 03/08/2023 to 02/02/2024** and valid for manufacturing of following products.

S. No.	**Product**	**Quantity**	**Unit**
1	Parboiled Rice	4	Metric Tonnes/Hour

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY, GOVT. OF INDIA

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	1.0 KLD	Septic Tank	-

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard

(iv) Sewage Treatment and Disposal:- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY, GOVT. OF INDIA

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S. No.	Parameters	Standards
1	pH	As per E(P) Rules, 1986.
2	BOD (mg/L)	As per E(P) Rules, 1986.
3	TSS (mg/L)	As per E(P) Rules, 1986.
4	Fecal Coliform (MPN/100ml)	As per E(P) Rules, 1986.

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	Boiler Capacity-04 TPH	Rice Husk	01	Particulate Matter	Approx. 30 Meter from Ground level.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY, GOVT. OF INDIA

2	D.G. Set -160 KVA 01 NO.	HSD	02	Particulate Matter	approx 3.0 meter above the roof top of the building
3	D.G. Set -20 KVA 01 NO.	HSD	03	Particulate Matter	approx 1.5 meter above the roof top of the building

Emission Quality Standards

S No.	**Stack no**	**Parameters**	**Standards**
1	01	Particulate Matter	As per E(P) Rules. 1986.
2	02	Particulate Matter	As per E(P) Rules. 1986.
3	03	Particulate Matter	As per E(P) Rules. 1986.

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

(iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY, GOVT. OF INDIA

Day time: from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP APC's Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change modify add any time any condition of this CCA. 6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

7. In comphance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated. 13.10.2021 issued by Department of Environment. Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx for

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY, GOVT. OF INDIA

ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non- compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.

8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MOEF and shall report to the UPPCB.

2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.

3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.

4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY GOVT OF INDIA

complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.

5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof

6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.

7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.

8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.

9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.

10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall bereported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.

11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY, GOVT. OF INDIA

12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

1. This consent to operate is granted for M/s Shiv Shakti Tredars, Arazi No. 129. 130, 131 & 132. Village- Ichauli. Post-Tandawa. Tehsil-Muhamdabad, District-Ghazipur in compliance of direction issued by Chief Environmental Officer (Cicrle-6), Head Quarter, Lucknow vide letter no. H99191/C-6/Sa-779/Shiv Shakti Traders 2023. dt. 10.08.2023.

2. **This CTO is valid from dt. 03.08.2023 up to dt. 02.02.2024 and the industry shall ensure shift to another place suitable from environmental angle after obtaining CTE from State Pollution Control Board within 06 months.**

3 This Consent to Operate is being issued to the industry with the condition that the industry will abide by the directions issued by any Hon'ble Court/ Hon'ble High Court/Hon'ble NGT/ Hon'ble Suprem Court/ SPCB/CPCB at in any stage.

4. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/process/fuel/plant machinery, failing which consent would be deemed void.

5. Industry shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Gree. Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY, GOVT OF INDIA

6. The Industry should ensure for the proper handling, collection and safe disposal of solid waste.

7. Industry shall be operated in such a manner that ambient air quality/ambient noise level will not be adversely affected inside the premise and outside premise.

8. The industry shall be submitted latest audited balance sheet for verification of consent fee, if consent fee is due then industry shall be deposited balance fee to this office.

9. The industry shall be carried out stack emission, ambient noise monitoring from NABL accredited laboratory and the test report shall be submitted to State Board within one month.

10. The DG set should have minimum stack height 0.2 KVA from roof-top of the nearest building with acoustic enclosure and monitoring of noise level, stack emission and ambient air quality should be done by the laboratory recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and report be sent to the Board.

11. Industry shall use H.S.D. as fuel in D.G. sets capacity 160 KVA & 20 KVA.

12. The industry shall use rice husk as a fuel in boiler having steam generation capacity 4.0 tonne/hr.

13. Complaint against said industry regarding Pollution if lodged & confirmed in inspection the consent order shall be revoked & necessary action against industry shall be taken under Air(Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended industry owner is responsible for this.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY, GOVT. OF INDIA

14. The Industry should ensure full compliance of prescribed emission standard set under Environment (Protection) Rules, 1986.

15. A thick green belt of trees of suitable species able to attain 8-10 meter height on maturity shall be developed in factory premises.

16. The transportation of used vehicles in such a manner that emission generated should not affect the nearby residence and agricultural field.

17. The Industry shall ensure that house-keeping of premises is to be good always. The Industry shall ensure

18. This Consent of the industry is automatically considered abrogated after receiving public grievances garding air pollution against the industry and the confirmation of the complaint by UPPCB

19. The industry should ensure the operation of air pollution control system in such a manner that it confirm the standards lay down under the E (P) Rules 1986.

20. The Industry shall submit Fnvironmental Statement in prescribed form V as per rule no. 14 of E(P) Rules, 1986

21 The Industry shail adopt regular water sprinkling for suppression of dust ash content.

22 The Industry shall obtain land use certificate issued from competent authority of revenue department and shall submit to State Board within two month.

23. The Industry shall temporary stored rice husk under pucca covered shed.

24 The Industry shall not discharge industrial effluent in any condition from outside of factory premises.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY, GOVT. OF INDIA

25 The Industry shall obtain NOC from all concerned department and submit to State Board within one month

26. The unit shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended. Public liability insurance Act, 1991, Plastic Waste Management Rules 2016. Solid Waste Management Rules, 2016 & Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (Whichever is applicable).

Suresh
Chandra
Shukla
Regional
Officer

Copy to:

1. Member secretary,
U.P. Pollution Control Board. T.C. 12V,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar,
Lucknow
2.Chief Environmental Officer (Circle-6),
U.P. Pollution Control Board, T.C. 12V,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar,
Lucknow
3. Law Officer (1).
U.P. Pollution Control Board, T.C. 12V,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar,
Lucknow

Suresh
Chandra
Shukla
Regional
Officer

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N. 3373/17
NOTARY, GOVT. OF INDIA

Uttar Pradesh Pollution Control Board
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

190546/UPPCB/Varanasi(UPPCBRO)/CTO/both/GHAZIPUR/2023 **Date: 11/08/2023**

To,
M/s
Shiv Shakti Tredars
Village- Ichauli Tehsil-Muhamdabad District-Ghazipur,GHAZIPUR,

Application Id-22296403

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to **Shiv Shakti Tredars** located at **Village- Ichauli Tehsil-Muhamdabad District-Ghazipur,GHAZIPUR,**. subject to the provisions of **the Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA Shiv Shakti Tredars **granted for the period from 03/08/2023 to 02/02/2024** and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	Parboiled Rice	4	Metric Tonnes/Hour

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	1.0 KLD	Septic Tank	-

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality.In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.-3373/17
NOTARY, GOVT. OF INDIA

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
1	pH	As per E(P) Rules, 1986.
2	BOD (mg/L)	As per E(P) Rules, 1986.
3	TSS (mg/L)	As per E(P) Rules, 1986.
4	Fecal Coliform (MPN/100ml)	As per E(P) Rules, 1986.

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	Boiler Capacity- 04 TPH	Rice Husk	01	Particulate Matter	Approx. 30 Meter from Ground level.
2	D.G. Set - 160 KVA 01 NO.	HSD	02	Particulate Matter	approx 3.0 meter above the roof top of the building
3	D.G. Set - 20 KVA 01 NO.	HSD	03	Particulate Matter	approx 1.5 meter above the roof top of the building

Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1	01	Particulate Matter	As per E(P) Rules, 1986.
2	02	Particulate Matter	As per E(P) Rules, 1986.
3	03	Particulate Matter	As per E(P) Rules, 1986.

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

उदय कृष्ण चतुर्वेदी U.K. Chaturvedi N. 13373/17 NOTARY, GOVT. OF INDIA

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. **Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-**

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will results in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.

8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be

भारत
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N. 13373/17
NOTARY, GOVT. OF INDIA

reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.

11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point

12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

1. This consent to operate is granted for M/s Shiv Shakti Tredars, Arazi No. 129, 130, 131 & 132, Village-Ichauli, Post-Tandawa, Tehsil-Muhamdabad, District-Ghazipur in compliance of direction issued by Chief Environmental Officer (Cicrle-6), Head Quarter, Lucknow vide letter no. H99191/C-6/Sa-779/Shiv Shakti Traders/2023, dt. 10.08.2023.

2. This CTO is valid from dt. 03.08.2023 up to dt. 02.02.2024 and the industry shall ensure shift to another place suitable from environmental angle after obtaining CTE from State Pollution Control Board within 06 months.

3. This Consent to Operate is being issued to the industry with the condition that the industry will abide by the directions issued by any Hon'ble Court/ Hon'ble High Court/Hon'ble NGT/ Hon'ble Suprem Court/ SPCB/CPCB at in any stage.

4. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/process/fuel/plant machinery, failing which consent would be deemed void.

5. Industry shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.

6. The Industry should ensure for the proper handling, collection and safe disposal of solid waste.

7. Industry shall be operated in such a manner that ambient air quality/ambient noise level will not be adversely affected inside the premise and outside premise.

8. The industry shall be submitted latest audited balance sheet for verification of consent fee, if consent fee is due then industry shall be deposited balance fee to this office.

9. The industry shall be carried out stack emission, ambient noise monitoring from NABL accredited laboratory and the test report shall be submitted to State Board within one month.

10. The DG set should have minimum stack height 0.2 KVA from roof-top of the nearest building with acoustic enclosure and monitoring of noise level, stack emission and ambient air quality should be done by the laboratory recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and report be sent to the Board.

11. Industry shall use H.S.D. as fuel in D.G. sets capacity 160 KVA & 20 KVA.

12. The industry shall use rice husk as a fuel in boiler having steam generation capacity 4.0 tonne/hr.

13. Complaint against said industry regarding Pollution if lodged & confirmed in inspection the consent order shall be revoked & necessary action against industry shall be taken under Air(Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended industry owner is responsible for this.

14. The Industry should ensure full compliance of prescribed emission standard set under Environment (Protection) Rules, 1986.

15. A thick green belt of trees of suitable species able to attain 8-10 meter height on maturity shall be developed in factory premises.

16. The transportation of used vehicles in such a manner that emission generated should not affect the nearby residence and agricultural field.

17. The Industry shall ensure that house-keeping of premises is to be good always. The Industry shall ensure

भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
NOTARY, GOVT. OF INDIA

This Consent of the industry is automatically considered abrogated after receiving public grievances regarding air pollution against the industry and the confirmation of the complaint by UPPCB.

19. .The industry should ensure the operation of air pollution control system in such a manner that it confirm the standards lay down under the E (P) Rules 1986.

20. The Industry shall submit Environmental Statement in prescribed form V as per rule no.14 of E(P) Rules. 1986.

21. The industry shall adopt regular water sprinkling for suppression of dust/ash content.

22. The industry shall obtain land use certificate issued from competent authority of revenue department and shall submit to State Board within two month.

23. The industry shall temporary stored rice husk under pucca covered shed.

24. The industry shall not discharge industrial effluent in any condition from outside of factory premises.

25. The industry shall obtain NOC from all concerned department and submit to State Board within one month.

26. The unit shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended. Public liability insurance Act, 1991, Plastic Waste Management Rules 2016 , Solid Waste Management Rules, 2016 & Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules. 2016 (Whichever is applicable).

Suresh Chandra Shukla
Digitally signed by Suresh Chandra Shukla
Date: 2023.08.11 19:04:44 +05'30'

Regional Officer

Copy to:

1. Member secretary,
U.P. Pollution Control Board, T.C. 12V,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar,
Lucknow

2. Chief Environmental Officer (Circle-6),
U.P. Pollution Control Board, T.C. 12V,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar,
Lucknow

3. Law Officer (I),
U.P. Pollution Control Board, T.C. 12V,
Vibhuti Khand, Gomati Nagar,
Lucknow

Suresh Chandra Shukla
Digitally signed by Suresh Chandra Shukla
Date: 2023.08.11 19:04:58 +05'30'

Regional Officer

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY, GOVT. OF INDIA

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी

TYPED COPY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

ANNEXURE-4

सं0 / Ref. No.-557 / सहमति / शिव शक्ति टेडर्स / 23–24

दिनांक : 18.09.2023

सेवा में,

मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स,
ग्राम– इचौली, पो०–टडवा, तहसील–मुहम्मदाबाद,
जनपद गाजीपुर।

पंजीकृत डाक द्वारा

विषयः– जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत जारी सहमति (जल एवं वायु) आदेश दिनांक 11.08.2023 को रिवोक / निरस्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 1500 / शिव शक्ति ट्रेडर्स / 23–24 दिनांक

08.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो पंजीकृत डाक द्वारा उद्योग को दिनांक 06.09.2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। आपको सूचित करना है कि आपके सी०सी०ए० आवेदन पत्र दिनांक 03.08.2023 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के पत्र स० 190546 / UPPCB/Varanasi (UPPCB RO)CTO/Both/Ghazipur/2023. दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से दिनांक 03.08.2023 से दिनांक 02.02.2024 तक की अवधि हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY, GOVT. OF INDIA

अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत उद्योग को सशर्त सी०टी०ओ० आदेश निर्गत किया गया है। उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सी०टी०ओ० आदेश दिनांक 11.08.2023 में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सुसंगत साक्ष्यों/दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था तथा अनुपालन आख्या निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त न होने अथवा अनुपालन आख्या संतोषजनक नही पाये जाने की दशा में आपके उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से निर्गत सी०टी०ओ० आदेश को रिवोक/खण्डित करने की कार्यवाही बिना किसी अन्य सूचना के किये जाने का उल्लेख किया गया था।

अग्रेतर सूचित करना है कि प्रभारी अधिकारी, आयोग, कलेक्ट्रेट, गाजीपुर के पत्र सं0 1552/ आयोग/2023, दिनांक 21.08.2023 के साथ संलग्न मा० उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग, लखनऊ के पत्र सं0 2880/24/32/2023, दिनांक 11.08.2023 के द्वारा श्री देवेश कुमार वर्मा, ग्राम– इचौली, पो०–टंडवा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर की शिकायती प्रार्थना पत्र एवं आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के कार्यालय के इंडेक्स सं0 11990/वै0स0–23, दिनांक 04.09.2023 के माध्यम से प्राप्त कुछ भावना वर्मा, छात्रा विधि संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2023. जो आपके उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम– इचौली, पो०–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर से संचालन से उत्पन्न वायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण व जन–स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव से सम्बंधित है, में उल्लिखित तथ्यों की जाँच हेतु कार्यालय के ज्ञाप सं0 1500/कार्यालय ज्ञाप/23–24 दिनांक 06.09.2023 के द्वारा समिति गठित की गयी थी तथा प्रश्नगत शिकायती प्रकरण की स्थलीय जाँच कर स्पष्ट आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। अपर आयुक्त (न्यायिक) आयुक्त कार्यालय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के पत्र सं0 2971/21–1 (2018–2021) स्था०नि०स०–1. दिनांक 05.09.2023 द्वारा भी सुश्री भावना वर्मा के शिकायती प्रार्थना

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY, GOVT. OF INDIA

पत्र दिनांक 04.09.2023 के संदर्भ में आपके उद्योग की स्थलीय जाँच कर आँख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित कियागया।

प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.09.2023 के द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 08.09.2023 को शिकायती उद्योग का स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा श्री कन्हैया गुप्ता, प्रोपराइटर, उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उद्योग की जाँच आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया गया तथा जॉच आख्या में निम्नलिखित प्रमुख तथ्यों का उल्लेख किया गया है:–

1. प्रश्नगत शिकायती उद्योग ग्राम–इचौली, पो०–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर में स्थापित है।
2. उद्योग में 160 के0वी0ए0 एवं 20 के०वी०ए० क्षमता के डी०जी० सेट्स स्थापित हैं। निरीक्षण के समय उक्त डी०जी० सेट के एग्जॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप नही पायी गयी। जबकि डी०जी० सेट के एग्जॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप किये जाने हेतु सी०टी०ओ० के विशिष्ट शर्त के बिन्दु सं0–10 पर निर्देश दिया गया था।
3. निरीक्षण के समय उद्योग के सटे उत्तर–पश्चिम दिशा में स्थित पोखरी में उद्योग से जनित राख को निस्तारित किया जा रहा था। जबकि सी०टी०ओ० के विशिष्ट शर्त के बिन्दु सं0 06 में सॉलिड वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के कारण पोखरी की जल गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है।
4. निरीक्षण की तिथि तक पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में उद्योग द्वारा पौधरोपण नही किया गया था तथा उद्योग परिसर की हाऊस कीपिंग अत्यन्त खराब पायी गयी। उद्योग परिसर के अन्दर फर्श पर

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY, GOVT OF INDIA

अत्यधिक मात्रा में राख के कण पाये गये सर्वेक्षण के दौरान उद्योग के समीप स्थित कम्पोजिट विद्यालय, इचौली एवं समीप स्थित आबादी के मकान के छतों व जमीन पर अत्यधिक मात्रा में राख के कण पाये गये। इससे स्पष्ट है कि उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का सही ढंग से संचालन नही किया गया है/नही किया जा रहा है।

5. निरीक्षण के समय उद्योग स्थल को देखने से प्रतीत हुआ कि डस्ट आदि के स्प्रेशन हेतु पानी का छिडकाव उद्योग द्वारानहीं किया जाता है।
6. निरीक्षण के समय उद्योग के समीप में स्थित पोखरी में ब्वायलर ब्लो डाउन निस्तारित किया हुआ पाया गया। इससे स्पष्ट है कि उद्योग से जनित ब्वायलर ब्लो डाउन को रिसाइकिल न कर निस्तारित किया जाता है। जबकि उद्योग को जारीसी०टी०ओ० में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण की शर्त आरोपित की गयी है।
7. निरीक्षण के समय गैसीय उत्सर्जन के नमने के एकत्रण हेतु समुचित एवं सुरक्षित सैम्पलिंग प्लेटफार्म स्थापित नही पायागया।
8. निरीक्षण के समय सी0टी0ओ0 आदेश दिनांक 11.09.2023 में आरोपित शर्तो के अधिकांश बिन्दुओ का अनुपालन नही पायागया।
9. निरीक्षण के समय स्थानीय नागरिकों द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया कि राइस मिल को रात में चलाया जाता है. जिसके कारण परिवेशीय ध्वनि स्तर निर्धारित मानको से अत्यधिक होने के कारण सोने में दिक्कत होती है तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों द्वारा बताया गया कि उद्योग द्वारा रात्रि में स्टीम को वेन्ट किये जाने के कारण ध्वनि स्तर की तीव्रता अत्यधिक हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य सम्बंधी परेशानी हो रही है। निरीक्षण के समय स्थानीय निवासियों में उद्योग के संचालन होने के प्रति आकोश पाया गया।
10. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा फायर एण्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट. भूगर्भ जल विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट का लाइसेंस, लेबर डिपार्टमेंट का लाइसेंस, ब्वायलर लाइसेंस एवं अन्य

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY, GOVT. OF INDIA

सम्बंधित विभागों का लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगने के बावजूद उपलब्ध नही कराया गया।

11. निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित बोरवेल के आउटलेट पर जल के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर स्थापित नहीपाया गया।
12. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा गैसीय उत्सर्जन, परिवेशीय वायु गुणता एवं परिवेशीय ध्वनि स्तर की अनुश्रवण आख्या एन०ए०बी०एल० एकिडेटेड प्रयोगशाला से कराकर प्रस्तुत नही किया गया।
13. जाँच के समय स्थल पर पाये गये तथ्यों एवं स्थानीय नागरिकों से दी गयी मौखिक सूचनानुसार उद्योग के विरूद्ध की गयी कथित शिकायत में उल्लिखित तथ्यों से इन्कार नही किया जा सकता है।

अग्रेतर सूचित करना है कि इस कार्यालय के पत्र सं0 1500/ शिव शक्ति ट्रेडर्स /23–24, दिनांक 08.09.2023 द्वारा उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र सं0 190546/UPPCB/Varanasi (UPPCB RO)CTO/ Both/Ghazipur/2023, दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत उद्योग को सशर्त सी०टी०ओ० आदेश में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सुसंगत साक्ष्यो/दस्तावेजों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक सी०टी०ओ० आदेश की अनुपालन आख्या निर्धारित अवधि व्यतीत होने जाने के उपरांत भी प्राप्त नही हुआ है। उद्योग द्वारा सम्बंधित विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र इस कार्यालय को प्रेषित नही की गयी है। समिति की जॉच आख्या के अनुसार उद्योग से जनित राख का निस्तारण उद्योग के समीप स्थित तालाब में किया जा रहा है तथा उद्योग परिसर एवं नजदीक आबादी के क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में राख के कण पाये गये, जिससे स्पष्ट होता है कि उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन नही किया जा रहा है तथा उद्योग

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY GOVT. OF INDIA

परिसर की हाउस कीपिंग भी अच्छी नही पायी गयी। उद्योग द्वारा सी०टी०ओ० में अधिरोपित अधिकांश शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उद्योग को जारी सी०टी०ओ० में निर्देशित किया गया था कि 06 माह के अन्दर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित स्थल पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त कर स्थानांतरित किया जाये। मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त – 6) उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र सं0 एच 99191/सी–6/सा–779/शिव शक्ति ट्रेडर्स/2023, दिनांक 10.08.2023 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है कि उद्योग को अन्यत्र स्थल पर 06 माह के अन्दर स्थानांतरित किया जाये तथा नवीन स्थल पर बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही स्थल विकास एवं प्लांट मशीनरी की स्थापना की जाये। किन्तु इस दिशा में उद्योग द्वारा अभी तक कोई सार्थक पहल कर राज्य बोर्ड को सूचित नही किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम– इचौली, पो० टढ़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर को राज्य बोर्ड के पत्र सं0 190546/UPPCB/Varanasi (UPPCB RO)CTO/Both/Ghazipur/2023, दिनांक 11.08.2023 द्वारा निर्गत सहमति (जल) आदेश को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–27 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में रिवोक/खण्डित तथा निर्गत सहमति (वायु) आदेश को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

(डॉ० एस०सी० शुक्ला)

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांकः– उपरोक्त ।

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N. 13373/17
GOVT. OF INDIA

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त – 6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. विधि अधिकारी (प्रथम). उवप्रव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आवास विकास ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जवाहर नगर, भेलूपुर, वाराणसी–221010. दूरभाष 0842–2275081, फैक्स : 0842–2275061 मुख्यालय टी०सी०–12वी. विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ–226010, दूरभाष 0822–2720828 2720081 2720831. फैक्स 0522–2720784 ई–मेलः info@uppcb.com वेबसाइट :www.uppcb.com

मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पोस्ट– तड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद– गाजीपुर के विरूद्ध श्री देवेश कुमार वर्मा, निवासी–ग्राम–इचौली, पोस्ट– तड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद– गाजीपुर एवं कु0 भावना वर्मा, छात्रा विधि संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा की गयी प्रदूषण सम्बंधी शिकायत के सम्बंध कार्यालय ज्ञाप सं0 1500/कार्यालय ज्ञाप/23–24, दिनांक 06.09.2023 के द्वारा गठित समिति की जाँच आख्या।

प्रभारी अधिकारी आयोग कलेक्ट्रेट, गाजीपुर के पत्र सं0 1552/आयोग/2023, दिनांक 21.08.2023 के साथ संलग्न प्रदेश मानवअधिकार आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या 2860/24/32/2023, दिनांक 11.08.2023 के द्वारा श्री देवेश कुमार वर्मा, निवासी– ग्राम– इचौली, पोस्ट– तलवा तहसील–मुहम्मदाबाद जनपद–गाजीपुर की शिकायती प्रार्थना पत्र एवं आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी कार्यालय के इन्डेक्स सं0 11990 / वै0स0–23, दिनांक 04.09.2023 के माध्यम से प्राप्त कु० भावना वर्मा, छात्रा विधि संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2023 जो मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम– इचौली, पोस्ट–तड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर से उत्पन्न वायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव से सम्बंधित है, के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप सं0 1500 / कार्यालय ज्ञाप / 23–24, दिनांक 06.09.2023 के द्वारा अधोहस्ताक्षरीगण की समिति गठित की गयी। उक्त सन्दर्भित शिकायती उद्योग का स्थलीय निरीक्षण / सर्वेक्षण अधोहस्तक्षरीगण द्वारा दिनांक 08.09.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा श्री कन्हैया गुप्ता, प्रोपराइटर उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों, उद्योग प्रतिनिधि से हुई वार्ता एवं स्थानीय नागरिको से हुई वार्ता के आधार पर समिति की जॉच आख्या निम्नवत् हैः–

1. प्रश्नगत शिकायती उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम– इचौली, पोस्ट– तड़वा, तहसील – मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर, ग्राम– इचौली, पो०– टड़वा, तहसील–

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N. 13373/17
NOTARY GOVT. OF INDIA

मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के आराजी सं0 129 130 131 एवं 132 पर स्थापित है।

2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग करके स्टीम राईस का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 4.0 टन / घण्टा की है।

3. उक्त उद्योग में जल की आपूर्ति निजी बोरवेल द्वारा किया जाता है। उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ एवं औद्योगिक प्रयोजन में ब्वायलर फीड में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप जनित होने वाले घरेलू बहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक / सोकपिट की व्यवस्था स्थापित है। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित बोरवेल पर जल मापक यंत्र स्थापित नही पाया गया।

4. उद्योग में 04 टन / घण्टा वाष्प जनन क्षमता एक अदद ब्वायलर स्थापित है। ब्वायलर में ईंधन के रूप में लगभग 03 कुन्तल / घण्टा धान की भूसी का प्रयोग किया जाता है। उद्योग में स्थापित ब्वायलर में ईंधन जलने के फलस्वरूप जनित फ्लू गैस के नियंत्रण हेतु साइक्लोन टाईप डस्ट कलेक्टर के साथ संलग्न भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है।

5. उद्योग में 160 के०वी०ए० एवं 20 के०वी०ए० क्षमता के डी०जी० सेट्स स्थापित हैं निरीक्षण के समय उक्त डी०जी० सेट के एग्जॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको अनुरूप नही पायी गयी।

6. उद्योग से जनित राख को उद्योग के सटे उत्तर–पश्चिम दिशा में स्थित पोखरी में निस्तारित किया जा रहा था।

7. उद्योग द्वारा पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु उद्योग द्वारा पौधरोपड़ नहीं किया गया है।

NOTARY GOVT. OF INDIA
U.K. Chaturvedi

8. निरीक्षण के समय उद्योग परिसर की हाउस कीपिंग अत्यन्त खराब पायी गयी। उद्योग परिसर के अन्दर फर्श पर अधिक मात्रा में राख के कम पाये गये निरीक्षण/सर्वेक्षण के दौरान उद्योग के समीप में स्थित कम्पोजिट विद्यालय, इचौली एवं निकट में स्थित आबादी के मकान के छतों व जमीन पर अधिकांश मात्रा में राख के कण पाये गये।

9. उद्योग परिसर के अन्दर देखने से प्रतीत हुआ कि उद्योग में डस्ट आदि के स्प्रेशन हेतु पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है।

10. निरीक्षण के समय उद्योग के समीप में स्थित पोखरी में ब्वायलर ब्लो डाउन निस्तारित कि हुआ पाया गया। इससे स्पष्ट है कि उद्योग से जनित ब्वायलर ब्लो डाउन को रिसाइकिलकर निस्तारित किया जाता है।

11. उद्योग से जनित गैसीय उत्सर्जन के नमूने के एकत्रण हेतु समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था जैसेसैम्पलिंग प्लेटफार्म स्थापित नहीं पाया गया।

12. निरीक्षण के समय स्थानीय नागरिकों द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि राइस मिल अधिकतर रात में चलाया जाता है। ध्वनि अत्यधिक होने के कारण सोने में दिक्कत होती है।तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

13. निरीक्षण के समय स्थानीय निवासियों द्वारा यह भी बताया गया कि उद्योग द्वारा रात्रि में स्टीम को वेन्ट किये जाने के कारण ध्वनि स्तर की तीव्रता अत्यधिक हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य सम्बंधी परेशानी हो रही है। निरीक्षण के समय स्थानीय निवासियों में उद्योग के संचालन होने के प्रति आक्रोश पाया गया।

14. निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि से फायर एण्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट, भूगर्भ जल विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट का लाइसेंस, लेबर डिपार्टमेंट का लाइसेंस, ब्वायलर लाइसेंस एवं अन्य

NOTARY GOVT. OF INDIA U.K. Chaturvedi N.13373/17

सम्बंधित विभागों का लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया, किन्तु उपलब्ध नही कराया गया।

15. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा गैसीय उत्सर्जन, परिवेशीय वायु गुणता एवं परिवेशीय ध्वनि स्तर की अनुश्रवण आख्या एन०ए०बी०एल० एक्रिडेटेड प्रयोगशाला से कराकर प्रस्तुत नही किया गया।

16. जॉच के समय स्थल पर पाये गये तथ्यों एवं स्थानीय नागरिकों से दी गयी मौखिक सूचनानुसार उद्योग के विरूद्ध की गयी कथित शिकायत में उल्लिखित तथ्यों से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

17. निरीक्षण के समय राज्य बोर्ड के पत्र संख्या 190546/UPPCB/Varanasi (UPPCBRO) CTO/Both /Ghazipur 2023, दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से दिनांक 03.08.2023 से दिनांक– 02.02.2024 तक की अवधि हेतु सशर्त जारी सहमति आदेश में अधिरोपित अधिकतर शर्तो का अनुपालन उद्योग द्वारा किया हुआ नही पाया गया।

18. उद्योग को जारी सी०टी०ओ० में स्पष्ट उल्लेख है कि 06 माह के अन्दर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित स्थल पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त कर स्थानांतरित किया जाये। मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त – 6), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र सं0 एच 99191/सी–6/सा–779/शिव शक्ति ट्रेडर्स/2023, दिनांक 10.08.2023 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है कि उद्योग को अन्यत्र स्थल पर 06 माह के अन्दर स्थानांतरित किया जाये तथा नवीन स्थल पर बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही स्थल विकास एवं प्लांट मशीनरी की स्थापना की जाये। किन्तु उद्योग को स्थानांतरित किये जाने की दिशा में उद्योग द्वारा अभी तक कोई सार्थक पहल कर राज्य बोर्ड को सूचित नही किया गयाहै।

नोटरी भारत सरकार उदय कृष्ण चतुर्वेदी U.K. Chaturvedi N.13373/17 NOTARY GOVT. OF INDIA

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम– इचौली, पो०– टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर को राज्य बोर्ड के पत्र सं0 190546 / UPPCB/Varanasi (UPPCB RO) CTO/Both /Ghazipur 2023, दिनांक 11.08.2023 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु आदेश जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–27(2) के अन्तर्गत रिवोक / खण्डित किये जाने एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 (4) निरस्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।

समिति की उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ हस्ताक्षरार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(एस0के0 पाण्डेय)	(रणजीत कुमार)	(राजनाथ चौधरी)
प्रयोगशाला सहायक	अनुश्रवण सहायक	वैज्ञानिक सहायक

(सी0पी0 वर्मा)
वैज्ञानिक सहायक

<u>क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,</u>

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.13373/17
NOTARY GOVT. OF INDIA

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

LiFE Lifestyle for Environment

प0/Ref.No. 1557/सहमति/शिव शक्ति ट्रेडर्स/23-24 दिनांक 18-9-23

सेवा में, पंजीकृत डाक द्वारा

मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स,
ग्राम–इचौली, पो0–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद,
जनपद–गाजीपुर।

विषयः– **जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत जारी सहमति (जल एवं वायु) आदेश दिनांक 11.08.2023 को रिवोक/निरस्त किये जाने के सम्बंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 1500/शिव शक्ति ट्रेडर्स/23–24, दिनांक 06.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो पंजीकृत डाक द्वारा उद्योग को दिनांक 06.09.2023 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था। आपको सूचित करना है कि आपके सी0सी0ए0 आवेदन पत्र दिनांक 03.08.2023 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के पत्र सं0 190546/UPPCB/Varanasi(UPPCB RO)CTO/Both/Ghazipur/2023, दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से दिनांक 03.08.2023 से दिनांक 02.02.2024 तक की अवधि हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत उद्योग को सशर्त सी0टी0ओ0 आदेश निर्गत किया गया है। उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सी0टी0ओ0 आदेश दिनांक 11.08.2023 में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सुसंगत साक्ष्यों/दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था तथा अनुपालन आख्या निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त न होने अथवा अनुपालन आख्या संतोषजनक नही पाये जाने की दशा में आपके उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से निर्गत सी0टी0ओ0 आदेश को रिवोक/खण्डित करने की कार्यवाही बिना किसी अन्य सूचना के किये जाने का उल्लेख किया गया था।

अग्रेतर सूचित करना है कि प्रभारी अधिकारी, आयोग, कलेक्ट्रेट, गाजीपुर के पत्र सं0 1552/आयोग/2023, दिनांक 21.08.2023 के साथ संलग्न मा0 उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग, लखनऊ के पत्र सं0 2860/24/32/2023, दिनांक 11.08.2023 के द्वारा श्री देवेश कुमार वर्मा, ग्राम–इचौली, पो0–टंडवा, तहसील–मोहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर की शिकायती प्रार्थना पत्र एवं आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के कार्यालय के इंडेक्स सं0 11990/वै0स0–23, दिनांक 04.09.2023 के माध्यम से प्राप्त कु0 भावना वर्मा, छात्रा विधि संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2023, जो आपके उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पो0–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर से संचालन से उत्पन्न वायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण व जन–स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव से सम्बंधित है, में उल्लिखित तथ्यों की जॉच हेतु कार्यालय के ज्ञाप सं0 1500/कार्यालय ज्ञाप/23–24, दिनांक 06.09.2023 के द्वारा समिति गठित की गयी थी तथा प्रश्नगत शिकायती प्रकरण की स्थलीय जॉच कर स्पष्ट आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। अपर आयुक्त (न्यायिक), आयुक्त कार्यालय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के पत्र सं0 2971/21–1(2018–2021) स्था0नि0स0–1, दिनांक 05.09.2023 द्वारा भी सुश्री भावना वर्मा के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2023 के संदर्भ में आपके उद्योग की स्थलीय जॉच कर आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06.09.2023 के द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 08.09.2023 को शिकायती उद्योग का स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा श्री कन्हैया गुप्ता, प्रोपराइटर, उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उद्योग की जॉच आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत किया गया तथा जॉच आख्या में निम्नलिखित प्रमुख तथ्यों का उल्लेख किया गया है:–

1. प्रश्नगत शिकायती उद्योग ग्राम–इचौली, पो0–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर में स्थापित है।
2. उद्योग में 160 के0वी0ए0 एवं 20 के0वी0ए0 क्षमता के डी0जी0 सेट्स स्थापित हैं। निरीक्षण के समय उक्त डी0जी0 सेट के एग्जॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप नही पायी गयी। जबकि डी0जी0 सेट के एग्जॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप किये जाने हेतु सी0टी0ओ0 के विशिष्ट शर्त के बिन्दु सं0–10 पर निर्देश दिया गया था।
3. निरीक्षण के समय उद्योग के सटे उत्तर–पश्चिम दिशा में स्थित पोखरी में उद्योग से जनित राख को निस्तारित किया जा रहा था। जबकि सी0टी0ओ0 के विशिष्ट शर्त के बिन्दु सं0 06 में सॉलिड वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के कारण पोखरी की जल गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है।
4. निरीक्षण की तिथि तक पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में उद्योग द्वारा पौधरोपण नही किया गया था तथा उद्योग परिसर की हाऊस कीपिंग अत्यन्त खराब पायी गयी। उद्योग परिसर के अन्दर फर्श पर अत्यधिक मात्रा में राख के कण पाये गये। सर्वेक्षण के दौरान उद्योग के समीप स्थित कम्पोजिट विद्यालय, इचौली एवं समीप स्थित आबादी के मकान के छतों व जमीन पर अत्यधिक मात्रा में राख के कण पाये गये। इससे स्पष्ट है कि उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का सही ढंग से संचालन नही किया गया है/नही किया जा रहा है।

कृ0पृ0उ0

RO PC Dr SC Sir

भारत सरकार NOTARY GOVT. OF INDIA उमा कृष्ण चतुर्वेदी U.K. Chaturvedi N. 13373/17

5. निरीक्षण के समय उद्योग स्थल को देखने से प्रतीत हुआ कि डस्ट आदि के स्प्रेशन हेतु पानी का छिड़काव उद्योग द्वारा नही किया जाता है।

6. निरीक्षण के समय उद्योग के समीप में स्थित पोखरी में ब्वायलर ब्लो डाउन निस्तारित किया हुआ पाया गया। इससे स्पष्ट है कि उद्योग से जनित ब्वायलर ब्लो डाउन को रिसाइकिल न कर निस्तारित किया जाता है। जबकि उद्योग को जारी सी0टी0ओ0 में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण की शर्त आरोपित की गयी है।

7. निरीक्षण के समय गैसीय उत्सर्जन के नमूने के एकत्रण हेतु समुचित एवं सुरक्षित सैम्पलिंग प्लेटफार्म स्थापित नही पाया गया।

8. निरीक्षण के समय सी0टी0ओ0 आदेश दिनांक 11.08.2023 में आरोपित शर्तो के अधिकांश बिन्दुओ का अनुपालन नही पाया गया।

9. निरीक्षण के समय स्थानीय नागरिकों द्वारा मौखिक रूप से सूचित किया गया कि राइस मिल को रात में चलाया जाता है, जिसके कारण परिवेशीय ध्वनि स्तर निर्धारित मानको से अत्यधिक होने के कारण सोने में दिक्कत होती है तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों द्वारा बताया गया कि उद्योग द्वारा रात्रि में स्टीम को वेन्ट किये जाने के कारण ध्वनि स्तर की तीब्रता अत्यधिक हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य सम्बंधी परेशानी हो रही है। निरीक्षण के समय स्थानीय निवासियों मे उद्योग के संचालन होने के प्रति आकोश पाया गया।

10. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा फायर एण्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट, भूगर्भ जल विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट का लाइसेंस, लेबर डिपार्टमेंट का लाइसेंस, ब्वायलर लाइसेंस एवं अन्य सम्बंधित विभागों का लइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगने के बावजूद उपलब्ध नही कराया गया।

11. निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित बोरवेल के आउटलेट पर जल के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर स्थापित नही पाया गया।

12. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा गैसीय उत्सर्जन, परिवेशीय वायु गुणता एवं परिवेशीय ध्वनि स्तर की अनुश्रवण आख्या एन0ए0बी0एल0 एकिडेटेड प्रयोगशाला से कराकर प्रस्तुत नही किया गया।

13. जॉच के समय स्थल पर पाये गये तथ्यों एवं स्थानीय नागरिकों से दी गयी मौखिक सूचनानुसार उद्योग के विरूद्ध की गयी कथित शिकायत में उल्लिखित तथ्यों से इन्कार नही किया जा सकता है।

अग्रेतर सूचित करना है कि इस कार्यालय के पत्र सं0 1500/शिव शक्ति ट्रेडर्स/23–24, दिनांक 06.09.2023 द्वारा उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र सं0 190546/UPPCB/Varanasi(UPPCB RO)CTO/Both/Ghazipur/2023, दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत उद्योग को सशर्त सी0टी0ओ0 आदेश में अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या सुसंगत साक्ष्यो/दस्तावेजों के साथ एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक सी0टी0ओ0 आदेश की अनुपालन आख्या निर्धारित अवधि व्यतीत होने जाने के उपरांत भी प्राप्त नही हुआ है। उद्योग द्वारा सम्बंधित विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र इस कार्यालय को प्रेषित नही की गयी है। समिति की जॉच आख्या के अनुसार उद्योग से जनित राख का निस्तारण उद्योग के समीप स्थित तालाब में किया जा रहा है तथा उद्योग परिसर एवं नजदीक आबादी के क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में राख के कण पाये गये, जिससे स्पष्ट होता है कि उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन नही किया जा रहा है तथा उद्योग परिसर की हाउस कीपिंग भी अच्छी नही पायी गयी। उद्योग द्वारा सी0टी0ओ0 में अधिरोपित अधिकांश शर्तो का अनुपालन नही किया जा रहा है। उद्योग को जारी सी0टी0ओ0 में निर्देशित किया गया था कि 06 माह के अन्दर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित स्थल पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त कर स्थानांतरित किया जाये। मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र सं0 एच 99191/सी–6/सा–779/शिव शक्ति ट्रेडर्स/2023, दिनांक 10.08.2023 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है कि उद्योग को अन्यत्र स्थल पर 06 माह के अन्दर स्थानांतरित किया जाये तथा नवीन स्थल पर बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही स्थल विकास एवं प्लांट मशीनरी की स्थापना की जाये। किन्तु इस दिशा में उद्योग द्वारा अभी तक कोई सार्थक पहल कर राज्य बोर्ड को सूचित नही किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पो0–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर को राज्य बोर्ड के पत्र सं0 190546/UPPCB/Varanasi(UPPCB RO)CTO/Both/Ghazipur/2023, दिनांक 11.08.2023 द्वारा निर्गत सहमति (जल) आदेश को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा–27(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में रिवोक/खण्डित तथा निर्गत सहमति (वायु) आदेश को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

18/9/23

(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांकः–उपरोक्त।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–6), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. विधि अधिकारी (प्रथम), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

18/9/23
क्षेत्रीय अधिकारी

नोटरी भारत सरकार
उदय कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N.-3373/17
NOTARY GOVT. OF INDIA

मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पोस्ट–तड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के विरूद्ध श्री देवेश कुमार वर्मा, निवासी–ग्राम–इचौली, पोस्ट–तड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर एवं कु0 भावना वर्मा, छात्रा विधि संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा की गयी प्रदूषण सम्बंधी शिकायत के सम्बंध कार्यालय ज्ञाप सं0 1500/कार्यालय ज्ञाप/23–24, दिनांक 06.09.2023 के द्वारा गठित समिति की जॉच आख्या।

प्रभारी अधिकारी आयोग, कलेक्ट्रेट, गाजीपुर के पत्र सं0 1552/आयोग/2023, दिनांक 21.08.2023 के साथ संलग्न मा0 उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या 2860/24/32/2023, दिनांक 11.08.2023 के द्वारा श्री देवेश कुमार वर्मा, निवासी– ग्राम–इचौली, पोस्ट–तड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर की शिकायती प्रार्थना पत्र एवं आयुक्त महोदय, वाराणसी मण्डल, वाराणसी कार्यालय के इन्डेक्स सं0 11990/वै0स0–23, दिनांक 04.09.2023 के माध्यम से प्राप्त कु0 भावना वर्मा, छात्रा विधि संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2023 जो मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पोस्ट–तड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर से उत्पन्न वायु प्रदूषण के कारण पर्यावरण एवं जन–स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रभाव से सम्बंधित है, के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप सं0 1500/कार्यालय ज्ञाप/23–24, दिनांक 06.09.2023 के द्वारा अधोहस्ताक्षरीगण की समिति गठित की गयी। उक्त सन्दर्भित शिकायती उद्योग का स्थलीय निरीक्षण/सर्वेक्षण अधोहस्तक्षरीगण द्वारा दिनांक 08.09.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा श्री कन्हैया गुप्ता, प्रोपराइटर उद्योग प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों, उद्योग प्रतिनिधि से हुई वार्ता एवं स्थानीय नागरिको से हुई वार्ता के आधार पर समिति की जॉच आख्या निम्नवत् है:–

1. प्रश्नगत शिकायती उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम–इचौली, पोस्ट–तड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर, ग्राम–इचौली, पो0–टड़वा, तहसील–मुहम्मदाबाद, जनपद–गाजीपुर के आराजी सं0 129, 130, 131 एवं 132 पर स्थापित है।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में धान का प्रयोग करके स्टीम राईस का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 4.0 टन/घण्टा की है।
3. उक्त उद्योग में जल की आपूर्ति निजी बोरवेल द्वारा किया जाता है। उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ एवं औद्योगिक प्रयोजन में ब्वायलर फीड में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप जनित होने वाले घरेलू बहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था स्थापित है। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित बोरवेल पर जल मापक यंत्र स्थापित नही पाया गया।
4. उद्योग में 04 टन/घण्टा वाष्प जनन क्षमता एक अदद ब्वायलर स्थापित है। ब्वायलर में ईंधन के रूप में लगभग 03 कुन्तल/घण्टा धान की भूसी का प्रयोग किया जाता है। उद्योग में स्थापित ब्वायलर में ईंधन जलने के फलस्वरूप जनित फ्लू गैस के नियंत्रण हेतु साइक्लोन टाईप डस्ट कलेक्टर के साथ संलग्न भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है।
5. उद्योग में 160 के0वी0ए0 एवं 20 के0वी0ए0 क्षमता के डी0जी0 सेट्स स्थापित हैं। निरीक्षण के समय उक्त डी0जी0 सेट के एग्जॉस्ट पर संलग्न चिमनी की ऊँचाई बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप नही पायी गयी।
6. उद्योग से जनित राख को उद्योग के सटे उत्तर–पश्चिम दिशा में स्थित पोखरी में निस्तारित किया जा रहा था।
7. उद्योग द्वारा पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु उद्योग द्वारा पौधरोपड़ नही किया गया है।
8. निरीक्षण के समय उद्योग परिसर की हाउस कीपिंग अत्यन्त खराब पायी गयी। उद्योग परिसर के अन्दर फर्श पर अधिक मात्रा में राख के कण पाये गये। निरीक्षण/सर्वेक्षण के दौरान उद्योग के समीप में स्थित कम्पोजिट विद्यालय, इचौली एवं निकट में स्थित आबादी के मकान के छतों व जमीन पर अधिकांश मात्रा में राख के कण पाये गये।
9. उद्योग परिसर के अन्दर देखने से प्रतीत हुआ कि उद्योग में डस्ट आदि के स्प्रेशन हेतु पानी का छिड़काव नही किया जाता है।

उमा कृष्ण चतुर्वेदी
U.K. Chaturvedi
N. 1337817
NOTARY GOVT. OF INDIA

10. निरीक्षण के समय उद्योग के समीप में स्थि[illegible]री में ब्वायलर ब्लो डाउन निस्तारित किया हुआ पाया गया। इससे स्पष्ट है कि उद्योग से जनित ब्वायलर ब्लो डाउन को रिसाइकिल न कर निस्तारित किया जाता है।

11. उद्योग से जनित गैसीय उत्सर्जन के नमूने के एकत्रण हेतु समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था जैसे- सैम्पलिंग प्लेटफार्म स्थापित नही पाया गया।

12. निरीक्षण के समय स्थानीय नागरिकों द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया कि राइस मिल अधिकतर रात में चलाया जाता है। ध्वनि अत्यधिक होने के कारण सोने में दिक्कत होती है तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

13. निरीक्षण के समय स्थानीय निवासियों द्वारा यह भी बताया गया कि उद्योग द्वारा रात्रि में स्टीम को वेन्ट किये जाने के कारण ध्वनि स्तर की तीव्रता अत्यधिक हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य सम्बंधी परेशानी हो रही है। निरीक्षण के समय स्थानीय निवासियों में उद्योग के संचालन होने के प्रति आकोश पाया गया।

14. निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि से फायर एण्ड सेफ्टी डिपार्टमेंट, भूगर्भ जल विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट का लाइसेंस, लेबर डिपार्टमेंट का लाइसेंस, ब्वायलर लाइसेंस एवं अन्य सम्बंधित विभागों का लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया, किन्तु उपलब्ध नही कराया गया।

15. निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा गैसीय उत्सर्जन, परिवेशीय वायु गुणता एवं परिवेशीय ध्वनि स्तर की अनुश्रवण आख्या एन0ए0बी0एल0 एक्रिडेटेड प्रयोगशाला से कराकर प्रस्तुत नही किया गया।

16. जॉच के समय स्थल पर पाये गये तथ्यों एवं स्थानीय नागरिकों से दी गयी मौखिक सूचनानुसार उद्योग के विरूद्ध की गयी कथित शिकायत में उल्लिखित तथ्यों से इन्कार नही किया जा सकता है।

17. निरीक्षण के समय राज्य बोर्ड के पत्र संख्या 190546/UPPCB/Varanasi(UPPCBRO) CTO/Both/Ghazipur2023, दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से दिनांक 03.08.2023 से दिनांक-02.02.2024 तक की अवधि हेतु सशर्त जारी सहमति आदेश में अधिरोपित अधिकतर शर्तो का अनुपालन उद्योग द्वारा किया हुआ नही पाया गया।

18. उद्योग को जारी सी0टी0ओ0 में स्पष्ट उल्लेख है कि 06 माह के अन्दर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित स्थल पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति प्राप्त कर स्थानांतरित किया जाये। मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6), उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र सं0 एच 99191/सी-6/सा-779/शिव शक्ति ट्रेडर्स/2023, दिनांक 10.08.2023 द्वारा भी आपको निर्देशित किया गया है कि उद्योग को अन्यत्र स्थल पर 06 माह के अन्दर स्थानांतरित किया जाये तथा नवीन स्थल पर बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही स्थल विकास एवं प्लांट मशीनरी की स्थापना की जाये। किन्तु उद्योग को स्थानांतरित किये जाने की दिशा में उद्योग द्वारा अभी तक कोई सार्थक पहल कर राज्य बोर्ड को सूचित नही किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त उद्योग मेसर्स शिव शक्ति ट्रेडर्स, ग्राम-इचौली, पो0-टड़वा, तहसील-मुहम्मदाबाद, जनपद-गाजीपुर को राज्य बोर्ड के पत्र सं0 190546/UPPCB/Varanasi(UPPCB RO)CTO/Both/Ghazipur/2023, दिनांक 11.08.2023 द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-27(2) के अन्तर्गत रिवोक/खण्डित किये जाने एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (4) निरस्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।

समिति की उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ, हस्ताक्षरार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

18-9-23 (एस0के0 पाण्डेय) प्रयोगशाला सहायक

18/9/23 (रणजीत कुमार) अनुश्रवण सहायक

18-9-23 (राजनाथ चौधरी) वैज्ञानिक सहायक

18/09/23 (सी0पी0 वर्मा) वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

18/9/23

नोटरी भारत सरकार NOTARY, GOVT. OF INDIA